संस्थापित- 1963

के.ए. (पी.जी.) कॉलेज

(राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से सम्बद्ध)

कपूरचन्द जैन मार्ग, कासगंज-207123



PROSPECTUS - 2024-25

विवरण पुस्तिका – 2024-2025

website : www.rmpssu.org
website : www.kapgcollegekasganj.org

PRICE Rs.: 250/-
By Registered Post Rs.: 300/-

महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ













शुभकामना संदेश



के.ए. (पीजी) कॉलेज, कासगंज इस जनपद का एक ऐसा उच्चतम शैक्षणिक संस्थान है, जो उच्च स्तरीय शिक्षा, अनुशासन और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए जाना जाता है। इस महाविद्यालय ने अनेक छात्र-छात्राओं को प्रांतीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभाओं के रूप में पहचान दी है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पी.जी. के साथ-साथ, विभिन्न प्रकार के अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। महाविद्यालय में उच्चस्तरीय पुस्तकालय भवन का नवनिर्माण चल रहा है, तो महाविद्यालय के एन.एस.एस., एन.सी.सी. एवं खेलकूद विभाग के कार्यक्रम भी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। खेलकूद व क्रीड़ा के क्षेत्र में महाविद्यालय के विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुके हैं।

वर्तमान में यह महाविद्यालय सुयोग्य प्राध्यापकों की श्रंखला के साथ प्राचार्य प्रो. अशोक कुमार रूस्तगी के कुशल मार्गदर्शन में निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है, कि शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, संवाद और सहभागिता जैसे उत्कृष्ट मानदंडों के साथ निरंतर गतिमान हमारा यह महाविद्यालय ''नई शिक्षा नीति'' के सफलतम और सक्रिय संचालन के साथ विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों एवं राष्ट्रीय चिंतन की स्थापना में सफल होगा।

मुझे विश्वास है, कि नए सत्र की विवरणिका (Prospectus) में उल्लिखित विभिन्न जानकारियों का लाभ उठाते हुये विद्यार्थीगण महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास में सहायक बनेंगे। सभी प्रवेश लेने वाले नवीन छात्र-छात्राओं का, मैं हृदय से स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूँ, कि वे अपने जीवन के सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करें ।

विनय कुमार जैन
सचिव, प्रबंधकारिणी समिति
के.ए. (पीजी) कॉलेज, कासगंज



महाविद्यालय का सामान्य परिचय, इतिहास एवं प्रगति विवरण

कोठीवाल आढ़तिया महाविद्यालय, कासगंज की स्थापना सन् 1963 में श्री गणेश डिग्री कालेज के नाम से क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों तथा कोठीवाल आढ़तिया कमेटी, कासगंज के उल्लेखनीय योगदान से हुई। मात्र 65 छात्र–छात्राओं एवं 6 विषयों में स्नातक स्तर की उच्चशिक्षा से प्रारम्भ यह महाविद्यालय 1969 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करके एटा एवं कासगंज जनपद का सर्वप्रथम स्नातकोत्तर महाविद्यालय बना। यहाँ सन् 1972 में हिन्दी व समाजशास्त्र, तत्पश्चात् 1979 में भूगोल व 1985 में अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुई।

वाणिज्य शिक्षण के अभाव की पूर्ति हेतु इस महाविद्यालय में सन् 1982 में वाणिज्य संकाय की स्थापना हुई। 1989 में कम्प्यूटर विज्ञान विभाग की स्थापना के साथ महाविद्यालय ने आधुनिकतम वैज्ञानिक शिक्षणयुग में प्रवेश किया। क्षेत्रीय युवा पीढ़ी को विज्ञान की उच्चशिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महाविद्यालय में सन् 1992 में विज्ञान संकाय (बी.एस–सी.) की कक्षायें तथा सन् 2018 में एम.एस–सी. (रसायन विज्ञान व गणित) की कक्षायें तथा सन् 2019 में वाणिज्य संकाय में एम. कॉम. तीनों ग्रुप में कक्षायें प्रारम्भ हुई।

संस्था का ध्येय वाक्य– 'सा विद्या या विमुक्तये' है। इसी सूत्र को दृष्टि में रखकर शिक्षाविद् आचार्यों ने इसे पूर्ण बनाने के लिए ज्ञानार्जन को आत्मा की मुक्त्यवस्था हेतु वरीयता देते हुए, आत्मानुशासन तथा विनम्रता का पाठ पढ़ाया है।

रचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर नगर के कोलाहल पूर्ण वातावरण से दूर कासगंज से अमांपुर जाने वाले कपूरचन्द जैन मार्ग के दाहिनी ओर सुरम्य शस्यश्यामला भूमि पर अवस्थित है। कॉलेज में विशाल अध्ययनकक्ष, पृथक् प्रशासकीय भवन, आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, श्री हरिशंकर सक्सैना पुस्तकालय, विशाल वाचनालय एवं श्री विश्वम्भर दयाल बिंदल सभागार तथा छात्र–छात्राओं के लिये पृथक्–पृथक् दो मल्टीजिमों से सुसज्जित चिन्मय व्यायामशाला तथा दो क्रीड़ाप्रांगण, आधुनिक विज्ञान एवं भूगोल लैबें, निजी नलकूप, जेनरेटर व आर.ओ. का जल इत्यादि की समुचित सुविधायें उपलब्ध है। वर्ष 1997 में श्री विनय कुमार जैन, मंत्री, प्रबन्धकारिणी समिति के सतत् प्रयत्नों से एकेडैमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज की स्थापना हो चुकी है, जिसका पृथक् विशाल भवन समस्त उपकरणों से युक्त है। कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकायों में यहाँ स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रयोगात्मक व शोधपरक सभी साधन सामग्री उपलब्ध है। रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में– 'पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग' त्रिवर्षीय व बी.एस–सी. वोकेशनल इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं 'बी.एस–सी. वोकेशनल इन बायोटेक्नोलोजी' की कक्षाएँ संचालित हो रही हैं।

इस प्रकार यह महाविद्यालय क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनेक उपयोगी पाठ्यक्रम चलाकर उच्चशिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। महाविद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति की उत्कृष्ट प्रतिभा एवं सक्रिय सहयोग तथा कुशल मार्गदर्शन में यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रबंधकारिणी समिति के यशस्वी मंत्री श्री विनय कुमार जी जैन के 'मंत्री' के रूप में 25 वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनके कार्यकाल के 'रजत जयन्ती वर्ष' में महाविद्यालय के चहुँमुखी विकास के लिए हम सब कृत संकल्पित है तथा अपने विद्यार्थी समुदाय के कल्याण एवं शैक्षिक उत्थान हेतु सतत जागरूक एवं कटिबद्ध हैं।



प्राचार्य की कलम से...

के.ए. (पी.जी.) कॉलेज, कासगंज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज से युक्त एक ऐसा शीर्षस्थ महाविद्यालय है, जहां सभी संकायों में पीएच.डी. से अलंकृत, सुयोग्य, अपने विषयों के मर्मज्ञ व अनुभवी प्राध्यापक हैं, जो विद्यार्थियों में अंतर्निहित प्रतिभा का विकास करने में सक्षम हैं। इस महाविद्यालय में उच्चकोटि के ग्रंथों से सुसज्जित एक समृद्ध एवं विशाल पुस्तकालय है। यहां छात्र-छात्राओं के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक व चारित्रिक विकास व उन्नयन हेतु कक्षाओं के नियमित संचालन पर विशेष बल दिया जाता है तथा विभागीय सेमिनार, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, खेलकूद प्रतियोगिता, एन.एस.एस., एन.सी.सी. व रोवर-रेंजर्स आदि जैसी विभिन्न उत्कृष्ट गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। छात्र-छात्राओं में अनुशासन एवं गुणात्मक सृजनशीलता के विकास हेतु यहां अनेकानेक शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर गतिविधियों का निरंतर संचालन होता है विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इनकी सम्यक जानकारी के लिए इस विवरणिका का भली-भांति अध्ययन करें तथा उल्लिखित नियमों व निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय में विशिष्ठ कीर्तिमान के साथ शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम के लिए भी प्रतिबद्ध है। शैक्षिक गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस वर्ष **'NAAC'** का मूल्यांकन कराने की भी वचनवद्धता है ।

महाविद्यालय का नवीन सत्र 1 जुलाई 2024 से प्रारम्भ हो रहा है; अत: 01 मई 2024 से पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। विवरणिका में निर्दिष्ट नियमों में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा निरस्तीकरण किया जा सकता है। आशा है कि हम पूर्ण निष्ठा व समर्पण से इस महाविद्यालय के विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे व कुछ नया करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे।

इसी विश्वास व प्रतिबद्धता के साथ हार्दिक शुभकामनायें ..... ।

प्रोफेसर अशोक रुस्तगी
प्राचार्य

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

अनंतिम शैक्षणिक कैलेंडर (Tentative Academic Calendar) सत्र 2024–2025

क्र0सं0	शैक्षणिक कार्यक्रम	दिनांक
विषम सेमेस्टर		
01	स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024–25 के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.05.2024 से 31.05.2024
02	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि	01.06.2024 से 30.06.2024
03	स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	01.07.2024 से 15.07.2024
04	स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा परास्नातक तृतीय सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	01.07.2024
05	स्नातक प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	17.07.2024
06	समस्त परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि	17.07.2024 से 26.07.2024
07	स्नातक विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	02.09.2024 से 16.09.2024
08	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा की तिथि	03.10.2024 से 16.10.2024
09	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	17.10.2024 से 30.10.2024
10	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि	10.11.2024
11	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	18.11.2024 से 23.12.2024
12	शीतावकाश	24.12.2024 से 01.01.2025
13	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	08.01.2025
सम सेमेस्टर		
14	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा सम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	02.01.2025
15	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा सम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म भरने की तिथि	01.02.2025 से 15.02.2025
16	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा की तिथि	01.03.2025 से 11.03.2025
17	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि	15.03.2025 से 23.03.2025
18	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शिक्षण कार्य पूर्ण करने की तिथि	28.03.2025
19	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा की तिथि	02.04.2025 से 15.05.2025
20	ग्रीष्मावकाश	16.05.2025 से 30.06.2025
21	स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम सेमेस्टर के परीक्षा के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	31.05.2025

कुलसचिव

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	शुभकामना संदेश-सचिव	1
2.	महाविद्यालय का सामान्य परिचय	2
3.	प्राचार्य की कलम से	3
4.	अनंतिम शैक्षणिक कलैण्डर	4
5.	अवकाश सूची	6
6.	माहवार प्रस्तावित कार्यक्रम	7
7.	महाविद्यालय परिवार	9
8.	ऐकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज्	12
9.	कार्यालय स्टाफ	13
10.	महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ	13
11.	प्रवेश समितियाँ	25
12.	विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली	27
13.	महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम	36
14.	विषय-चयन	38
15.	शोधकार्य	38
16.	महाविद्यालय शुल्क-विवरण	39
17.	विश्वविद्यालय का शुल्क विवरण	42
18.	शुल्क भुगतान सम्बन्धी अनुदेश	43
19.	शुल्क सुविधायें	43
20.	छात्रवृत्तियाँ	43
21.	निर्धन छात्र-छात्रा सहायता निधि	43
22.	पुस्तकालय	44
23.	बुक बैंक	44
24.	वाचनालय	44
25.	विभागीय पुस्तकालय	45
26.	अनुशासन व्यवस्था	45
27.	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	46
28	परिचय-पत्र एवं कॉलेज डायरी	46
29.	विद्यार्थियों की उपस्थिति	46
30.	छात्र कल्याण विभाग	47
31.	गर्ल्स कॉमनरूम	47
32.	साइकिल स्टैण्ड-सुविधा	47
33.	चिकित्सा सुविधा	48
34.	पाठयेत्तर सहभागी कार्यक्रम	48
35.	सांकृतिक क्रियाकलाप	48
36.	क्रीड़ा, खेल-कूद, शारीरिक प्रशिक्षण	48
37.	राष्ट्रीय छात्रसेना (N.C.C.)	49
38.	रोवर्स-रेंजर्स	49
39.	राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)	49
40.	कॉलेज पत्रिका 'मनीषा'	49
41.	सेमीनार कॉन्फ्रेन्स	49
42.	क्षेत्रीय अध्ययन	50
43.	विजिटिंग टीचर्स एवं लैक्चर्स	50
44.	महिला विषयक अध्ययन केन्द्र	50
45.	सर्वोच्च अंक सम्मान	50
46.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	50
47.	मासिक न्यूज बुलैटिन	50

के०ए० (पी०जी०) कॉलेज, कासगंज

(सम्बद्ध – राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़)

सार्वजनिक/ स्थानीय अवकाश सूची सत्र-2024-25

त्यौहारों के नाम	छुट्टियों की संख्या	ग्रिगेरियन कलैण्डर के अनुसार	सप्ताह के दिन
मोहर्रम*	1	17 जुलाई 2024	बुधवार
स्वतन्त्रता दिवस	1	15 अगस्त 2024	गुरूवार
नाग पंचमी	1	09 अगस्त 2024	शुक्रवार
रक्षा बंधन	1	19 अगस्त 2024	सोमवार
चेहल्लुम *	1	26 अगस्त 2024	सोमवार
जन्माष्टमी	1	26 अगस्त 2024	सोमवार
अंनत चुतुर्दशी/ईद-ए-मिलाद-बारावफात *	1	16 सितम्बर 2024	सोमवार
महात्मा गाँधी जयन्ती	1	02 अक्टूबर 2024	बुधवार
पितृ विसर्जन	1	02 अक्टूबर 2024	बुधवार
दशहरा	6	10-15 अक्टूबर 2024	गुरूवार- मंगलवार
दीपावली	5	28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2024	सोमवार-शुक्रवार
गोवर्धन पूजा	1	02 नवम्बर 2024	शनिवार
भैया दूज/चित्रगुप्त जयन्ती	1	03 नवम्बर 2024	रविवार
कार्तिक देवोत्थानी एकादशी	1	12 नवम्बर 2024	मंगलवार
गुरू नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा	1	15 नवम्बर 2024	शुक्रवार
डा0 भीमराव आंबेडकर परिनर्वाण दिस	1	06 दिसम्बर 2024	शुक्रवार
क्रिसमस-डे	1	25 दिसम्बर 2024	बुधवार
शीतावकाश	6	26-31 दिसम्बर 2024	गुरूवार-मंगलवार
मकर संक्रान्ति	1	14 जनवरी 2025	मंगलवार
मो0 हजरत अली का जन्म दिवस*	1	14 जनवरी 2025	मंगलवार
गणतन्त्र दिवस	1	26 जनवरी 2025	रविवार
मौनी अमावस्या	1	29 जनवरी 2025	बुधवार
बसन्त पंचमी	1	02 फरवरी 2025	रविवार
संत रविदास जयंती	1	12 फरवरी 2025	बुधवार
महाशिवरात्रि	1	26 फरवरी 2025	बुधवार
होली	4	12-15 मार्च 2025	बुधवार-शनिवार
ईद-उल-फितर*	1	31 मार्च 2025	सोमवार
रामनवमी	1	6 अप्रैल 2025	रविवार
महावीर जयन्ती	1	10 अप्रैल 2025	मंगलवार
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस	1	14 अप्रैल 2024	सोमवार
गुडफ्राइडे	1	18 अप्रैल 2025	शुक्रवार
बुधपूर्णिमा	1	12 मई 2025	सोमवार
ईद-उल-अजहा (बकरीद)*	1	7 जून 2025	शनिवार
कुल अवकाश	50		

नोट- * स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार

महत्वपूर्ण तिथियों, जयन्तियों व दिवसों के उपलक्ष्य में प्रस्तावित कार्यक्रम
(तिथि 01 जुलाई 2024 से प्रभावी)

माहवार प्रस्तावित कार्यक्रम	आयोजक विभाग
जुलाई माह	
11 जुलाई– विश्व जनसंख्या दिवस	अर्थशास्त्र विभाग
12 जुलाई– अन्तर्राष्ट्रीय दिवस	सांस्कृतिक समिति
26 जुलाई– कारगिल विजय दिवस	एन.सी.सी.
28 जुलाई– विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस	भूगोल विभाग
31 जुलाई– मुन्शी प्रेमचन्द्र जयन्ती	हिन्दी विभाग
अगस्त माह	
01 अगस्त– राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन जयन्ती	सांस्कृतिक समिति
03 अगस्त– मैथिलीशरण गुप्त जयन्ती	हिन्दी विभाग
09 अगस्त– अगस्त क्रान्ति दिवस	एन.एस.एस.
09 अगस्त– विश्व संस्कृत दिवस (श्रावण पूर्णिमा) यह दिवस रक्षा बन्धन के दिन होता है।	संस्कृत विभाग
15 अगस्त– स्वतन्त्रता दिवस	सांस्कृतिक समिति
23 अगस्त– गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती (श्रावण शुक्ला सप्तमी)	हिन्दी विभाग
29 अगस्त– राष्ट्रीय खेल दिवस (श्री ध्यानचन्द्र का जन्म इसी दिन सन् 1905 में हुआ)	शारीरिक शिक्षा विभाग
सितम्बर माह	
05 सितम्बर– शिक्षक दिवस (डॉ0 राधाकृष्णन का जन्म दिवस 1888)	अंग्रेजी विभाग
09 सितम्बर– भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जयन्ती (1850)	सांस्कृतिक समिति
14 सितम्बर– हिन्दी दिवस	हिन्दी विभाग
27 सितम्बर– विश्व पर्यटन दिवस	भूगोल विभाग
अक्टूबर माह	
01 अक्टूबर– वरिष्ठ नागरिक दिवस/अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस	समाजशास्त्र विभाग
02 अक्टूबर– गांधी जयन्ती, लाल बहादुर शास्त्री जयन्ती	एन.एस.एस.
11 अक्टूबर– अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस	महिला अध्ययन केन्द्र
31 अक्टूबर– राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार पटेल की जयन्ती)	राजनीति विज्ञान विभाग
नवम्बर माह	
24 नवम्बर–राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) स्थापना दिवस	एन.सी.सी.
26 नवम्बर– संविधान दिवस	राजनीति विज्ञान विभाग
दिसम्बर माह	
10 दिसम्बर– मानवाधिकार दिवस	राजनीति विज्ञान विभाग
19 दिसम्बर– बलिदान दिवस–शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेन्द्र लाहिड़ी	सांस्कृतिक समिति
जनवरी माह	
10 जनवरी– विश्व हिन्दी दिवस	हिन्दी विभाग
12 जनवरी– स्वामी विवेकानन्द जयन्ती	एन.एस.एस.
15 जनवरी– सेना दिवस	एन.सी.सी.
23 जनवरी– सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती (1897)	शिक्षाशास्त्र विभाग
24 जनवरी– राष्ट्रीय बालिका दिवस	महिला अध्ययन केन्द्र
25 जनवरी– राष्ट्रीय मतदाता दिवस	समाजशास्त्र विभाग
26 जनवरी– गणतन्त्र दिवस	सांस्कृतिक समिति

फरवरी माह

19 फरवरी– छत्रपति शिवाजी जयन्ती	सांस्कृतिक समिति
20 फरवरी– विश्व सामाजिक न्याय दिवस	समाजशास्त्र विभाग
22 फरवरी– विश्व स्काउट दिवस	रोवर रेन्जर्स
23 फरवरी– महर्षि दयानन्द सरस्वती जन्म दिवस (1824)	सांस्कृतिक समिति
27 फरवरी– शहीद चन्द्रशेखर आजाद बलिदान दिवस	सांस्कृतिक समिति
28 फरवरी– राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	विज्ञान संकाय

मार्च माह

08 मार्च– विश्व महिला दिवस	महिला अध्ययन केन्द्र
12 मार्च– दाण्डी मार्च कूच दिवस	अर्थशास्त्र विभाग
21 मार्च – विश्व वानिकी दिवस	भूगोल विभाग
23 मार्च– शहीद दिवस (भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव बलिदान दिवस)	एन.एस.एस.

अप्रैल माह

07 अप्रैल– विश्व स्वास्थ्य दिवस (महिला चिकित्सा दिवस)	महिला अध्ययन केन्द्र
10 अप्रैल– जल संसाधन दिवस	भूगोल विभाग
13 अप्रैल– जलियावाला बाग नरसंहार दिवस (1919)	शिक्षाशास्त्र विभाग
14 अप्रैल– डॉ अम्बेडकर जयन्ती	समाजशास्त्र विभाग
16 अप्रैल– नवसंवत्सर वर्ष प्रतिपदा/आर्यसमाज स्थापना दिवस/डॉ हेडगेवार का जन्म दिवस	सांस्कृतिक समिति
18 अप्रैल– विश्व धरोहर दिवस	भूगोल विभाग
22 अप्रैल– विश्व पृथ्वी दिवस	भूगोल विभाग
23 अप्रैल– विश्व पुस्तक दिवस	पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति

मई माह

2 मई– आद्यगुरू शंकराचार्य जयन्ती/सूरदास जयन्ती (वैशाख कृ0 पंचमी)	संस्कृत विभाग/हिन्दी विभाग
07 मई– रविन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती (1861)	अंग्रेजी विभाग
09 मई– मातृ दिवस	महिला अध्ययन केन्द्र विषयक
09 मई– गोखले की जयन्ती (1866)/महाराणा प्रताप जयन्ती	सांस्कृतिक समिति
10 मई– प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (1857)	शिक्षाशास्त्र विभाग
20 मई– सुमित्रानन्दन पन्त की जयन्ती	हिन्दी विभाग
24 मई– महादेवी वर्मा जयन्ती	हिन्दी विभाग
28 मई– वीर सावरकर जयन्ती	रोवर–रैंजर्स
30 मई– पत्रकारिता दिवस	हिन्दी विभाग

जून माह

05 जून– विश्व पर्यावरण दिवस	भूगोल विभाग
10 जून– विश्व भूगर्भ जल दिवस	भूगोल विभाग
11 जून– सन्त कबीरदास जयन्ती (ज्येष्ठ पूर्णिमा) (1455)	हिन्दी विभाग
16 जून– पितृ दिवस (प्रत्येक वर्ष जून के तृतीय रविवार को होता है)	सांस्कृतिक समिति
18 जून– लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस	सांस्कृतिक समिति
21 जून– अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस	शारी0शि0वि0/योग समिति

नोट : कुछ पर्वों तथा दिवसों की तिथियाँ हिन्दी मितियों के आधार पर परिवर्तनीय हो सकती हैं। विद्यार्थियों में अन्तर्निहित बहु आयामी प्रतिभा, कौशल्य व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के पावन उद्देश्य से उक्त सभी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इनके अतिरिक्त भी नियमित रूप से विभिन्न विभागों तथा शासन द्वारा आहूत विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, वाद–विवाद प्रश्न–मंच, निबंध–लेखन, पोस्टर आदि प्रतियोगिताएं भी समय–समय पर आयोजित की जायेंगी ।

प्राचार्य

महाविद्यालय परिवार (The College Family)

शिक्षक (TEACHING STAFF)

प्राचार्य (PRINCIPAL)

प्रोफेसर अशोक कुमार रूस्तगी

एम.ए. (राज.वि.), पीएच.डी.

हिन्दी विभाग एवं शोध अध्ययन केन्द्र (POSTGRADUATE & RESEARCH DEPARTMENT OF HINDI)

1. डॉ. मिथलेश कुमारी, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी. — एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. राधाकृष्ण, एम.ए., (हिन्दी, समाजशास्त्र), पी-एच.डी. — एसोशिएट प्रोफेसर
   (अवैतनिक विशेष अवकाश पर)
4. डॉ. पूनम रानी शर्मा, एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी. — असिस्टेंट प्रोफेसर
5. पद रिक्त — असिस्टेंट प्रोफेसर
6. पद रिक्त — असिस्टेंट प्रोफेसर

अँग्रेजी विभाग एवं शोध अध्ययन केन्द्र (POSTGRADUATE & RESEARCH DEPARTMENT OF ENGLISH)

1. डॉ0 अंजना वशिष्ठ रावत एम.ए., एम.फिल.,पी.जी.डी.सी.पी.,पी-एच.डी. — एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ0 सन्तोष कुमार एम.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी), एम.एड., पी-एच.डी. — असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 कुशहर साहनी एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी. — असिस्टेंट प्रोफेसर
4. रिक्त पद — असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग एवं शोध अध्ययन केन्द्र (POSTGRADUATE & RESEARCH DEPARTMENT OF ECONOMICS)

1. डॉ. मुनेन्द्र सिंह चन्दवरिया, एम.ए., पी-एच.डी. — एसो. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
3. डॉ. पवन कुमार दुबे, एम.ए., पी-एच.डी. — असिस्टेंट प्रोफेसर
4. रिक्त पद — असिस्टेंट प्रोफेसर
5. रिक्त पद — असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग एवं शोध अध्ययन केन्द्र (POSTGRADUATE & RESEARCH DEPARTMENT OF SOCIOLOGY)

1. डॉ0 सविस्ता अंजुम, एम.ए., नेट, पी-एच.डी. — असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
2. श्री अभिषेक यादव एम.ए., नेट, जे.आर.एफ. — असिस्टेंट प्रोफेसर
3.

भूगोल विभाग एवं शोध केन्द्र (POSTGRADUATE & RESEARCH DEPARTMENT OF GEOGRAPHY)

1.	डॉ. अच्युत प्रकाश गुप्ता, एम.ए., पी-एच.डी.	एसो. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
2.	डॉ. अनुपम पाठक, एम.ए.,एम.एस-सी.(पर्यावरण विज्ञान) स्लेट, पी-एच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	रिक्त पद	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	रिक्त पद	असिस्टेंट प्रोफेसर
5.	रिक्त पद	असिस्टेंट प्रोफेसर
6.	रिक्त पद	असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विभाग (DEPARTMENT OF POLTICAL SCIENCE)

1.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	एसो. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
2.	श्री अंकित कुमार कौशल, एम.ए., नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष

संस्कृत विभाग (DEPARTMENT OF SANSKRIT)

1.	डॉ0 ब्रजेन्द्र कुमार, एम.ए., एम.फिल., नेट, पी-एच.डी.	एसो. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
2.		

शिक्षाशास्त्र विभाग (DEPARTMENT OF EDUCATION)

1.	डॉ0 अजीत कुमार यादव, एम.ए. (इतिहास,शिक्षाशास्त्र) एम.एड., नेट/जे.आर.एफ., पी-एच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष

वाणिज्य विभाग (COMMERCE DEPARTMENT)

1.	डॉ0 उमेश कुमार एम.कॉम, एम.ए.(राज.शा.),पी-एच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष
2.	श्री हर्ष मिश्रा एम.कॉम, नेट, जे0आर0एफ0	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	रिक्त पद	असिस्टेंट प्रोफेसर
4.	रिक्त पद	असिस्टेंट प्रोफेसर

शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद विभाग (DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS)

1.	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह जादौन, एम.पी.ई., नेट, पी-एच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

1. श्री विशम्भर दयाल बिन्दल विज्ञान संकाय

पूर्ण रूपेण प्रबन्धकीय स्रोतों पर आश्रित

प्राचार्य

प्रोफेसर अशोक कुमार रूस्तगी

एम.ए. (राज.वि.), पीएच.डी.

डॉ0 नरेश चन्द्र भारद्वाज — समन्वयक

रसायन विज्ञान विभाग (DEPARTMENT OF CHEMISTRY)

1. डॉ0 आर.के. माहेश्वरी, एम.एस-सी., पी.एच-डी. — प्रवक्ता
2. डॉ0 योगेन्द्र पाल सिंह, एम.एस-सी., पी.एच-डी. — प्रवक्ता

गणित विभाग (DEPARTMENT OF MATHEMATICS)

1. डॉ0 विनोद कुमार गुप्ता, एम.एस-सी., पी-एच.डी. — प्रवक्ता
2. डॉ0 पी.के. अग्रवाल, एम.एस-सी., पी-एच.डी. — प्रवक्ता

भौतिक विज्ञान विभाग (DEPARTMENT OF PHYSICS)

1. श्री अखिलेश कुमार, एम.एस-सी., एम. फिल. — प्रवक्ता

जन्तु विज्ञान विभाग (DEPARTMENT OF ZOOLOGY)

1. डॉ0 संजय सिह, एम.एस-सी., पी-एच.डी. — प्रवक्ता

वनस्पति विज्ञान विभाग (DEPARTMENT OF BOTANY)

1. डॉ0 देवेन्द्र प्रताप सिह, एम.एस-सी., पी.एच-डी. — प्रवक्ता

श्री विशम्भर दयाल बिन्दल वाणिज्य संकाय

एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज

(स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)

प्रोफेसर अशोक कुमार रूस्तगी, प्राचार्य/निदेशक

डॉ0 नरेश चन्द्र भारद्वाज, उप-निदेशक

कम्प्यूटर विभाग (DEPARTMENT OF COMPUTER)

1.	श्री राजेश्वर सिंह, एम.ए.,पी.जी.डी.सी.पी.	अ0 प्रभारी,एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज
2.	श्री राजू शर्मा, एम.एस-सी.	प्रवक्ता
3.	श्री संजय राघव, एम.एस-सी.	प्रवक्ता
4.	श्री इन्द्र पाल सिंह, एम.एस-सी., एम.फिल	प्रवक्ता
5.	डॉ. यज्ञदत्त गौतम, एम.एस-सी.	प्रवक्ता
6.	श्री निर्देश कुमार, एम.एस-सी.	प्रवक्ता
7.	श्री विकास कुमार, एम.ए.	कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक

शिक्षणेत्तर कर्मचारी (NON TEACHING STAFF)

श्री हरिशंकर सक्सैना पुस्तकालय

1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	पद रिक्त
2.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	पद रिक्त
3.	श्री अभय प्रताप सिंह	पुस्तकालय सहायक/प्र0 पुस्तकालयाध्यक्ष
4.	श्री शीलेन्द्र कुमार शर्मा	अं0का0 कैटलॉगर
5.	रिक्त पद	पुस्तकालय सहायक
6.	श्री सत्यप्रकाश	पु0 परिचर
7.	श्री महेन्द्र पाल सिंह	बुक वाइण्डर
8.	रिक्त पद	बुक लिफ्टर
9.	श्री वेदांश सक्सैना	पु0 परिचर
10.	रिक्त पद	परिचर
11.	रिक्त पद	परिचर

प्रयोगशाला स्टाफ

1.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक-भूगोल
2.	पद रिक्त	लैब-बॉय भूगोल

कार्यालय स्टाफ

1.	श्री वीरपाल - स्नातक	प्रधान सहायक
2.	डॉ0 नरेशचन्द्र भारद्वाज, एम.ए., एम.कॉम., पी-एच.डी.	लेखाकार
3.	श्री राजेश्वर सिंह, एम.ए., पी.जी.डी.सी.पी.	आशुलिपिक
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार, एम.ए.	कनिष्ठ सहायक
5.	पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक
6.	पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक
7.	पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक
8.	पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक
9.	श्री अविनाश चन्द्र	परिचर
10.	श्री नेकसे लाल	परिचर
11.	श्री शिवराम	परिचर
12.	श्री प्रमोद कुमार	परिचर
13.	श्री श्रीपाल	सफाई कर्मचारी
14.	पद रिक्त	दफ्तरी
15.	पद रिक्त	परिचर
16.	पद रिक्त	परिचर/माली
17.	पद रिक्त	परिचर
18.	पद रिक्त	परिचर

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ
Various Committees of College

राष्ट्रीय मल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नाक) समिति
National Assessment and Accreditation Council (NAAC)

1.	डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत	संयोजक
2.	डॉ. ए0पी0 गुप्ता	सदस्य
3.	डॉ. एम0एस0 चन्दवरिया	सदस्य
4.	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार	सदस्य
5.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	सदस्य
6.	डॉ. संतोष कुमार	सदस्य
7.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य
8.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
9.	श्री वीरपाल	सदस्य
10.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज	सदस्य

'आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ'

Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

1.	डॉ. ए0के0 रूस्तगी, प्राचार्य	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए0पी0 गुप्ता	संयोजक
3.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	सह संयोजक
4.	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार	सह संयोजक

(शैक्षिक प्रतिनिधि)

1.	डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत	सदस्य
2.	डॉ0 एम0एस0 चन्दवरिया	सदस्य
3.	डॉ. मिथलेश कुमारी	सदस्य
4.	डॉ. प्रवीण सिंह जादौन	सदस्य
5.	डॉ. संतोष कुमार	सदस्य
6.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
7.	डॉ. अभिषेक यादव	सदस्य
8.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
9.	डॉ. राजकुमार माहेश्वरी	सदस्य

(प्रबन्ध समिति नामित प्रतिनिधि)

1.	श्री संतोष कुमार माहेश्वरी	सदस्य (प्रबन्ध समिति)

(स्थानीय समुदाय/हितधारक प्रतिनिधि)

1.	श्री राव मुकुल मान सिंह	सदस्य
2.	डॉ. वी0 के0 तोमर	सदस्य

(महाविद्यालय प्रशासनिक वर्ग)

1.	श्री वीरपाल, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
2.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	सदस्य

नियन्ता–मण्डल/एन्टी रैंगिंग कमेटी

Proctorial Board/Anti-Ragging Commitee

1.	डॉ. मिथलेश कुमारी	मुख्य नियन्ता
2.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	उप मुख्य नियन्ता
3.	डॉ. अनुपम पाठक	उप मुख्य नियन्ता
4.	डॉ. उमेश कुमार	उप मुख्य नियन्ता
5.	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह जादौन	सदस्य
6.	डॉ. सन्तोष कुमार	सदस्य
7.	डॉ. पवन दुबे	सदस्य
8.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य
9.	डॉ. संजय सिंह	सदस्य
10.	श्री संजय राघव	सदस्य

'छात्र कल्याण एवं समस्या समाधान समिति'

Student Welfare & Problem Solving Committee

1. डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत – अधिष्ठाता-छात्र कल्याण
2. डॉ. ए0पी0 गुप्ता – सह-अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. डॉ. मिथलेश कुमारी – मुख्य नियन्ता, सदस्य
4. डॉ. कमलेश कुमार सिंह – नोडल प्रभारी छात्रवृत्ति, सदस्य
5. डॉ. उमेश कुमार – सदस्य
6. श्री वीरपाल, कार्यालयाधीक्षक – सदस्य
7. डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार – सदस्य

क्रीड़ा एवं खेलकूद तथा व्यायामशाला समिति

Gymkhana & Sports Committee

1. डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन – विभागाध्यक्ष, प्रभारी
2. डॉ. मिथलेश कुमारी, मुख्य नियंता – सदस्य
3. डॉ. कमलेश कुमार सिंह – सदस्य
4. डॉ. सन्तोष कुमार – सदस्य
5. डॉ. उमेश कुमार – सदस्य
6. डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज – पदेन सदस्य
7. छात्र प्रतिनिधि
8. छात्रा प्रतिनिधि

महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'मनीषा' का सम्पादक मण्डल

College Magazine 'Maneesha' Editorial Board

1. डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार – प्रधान सम्पादक
2. डॉ. मिथलेश कुमारी – प्रबन्ध सम्पादक
3. डॉ. पूनम रानी शर्मा – सम्पादक- हिन्दी अनुभाग
4. डॉ. संतोष कुमार – सम्पादक- अंग्रेजी अनुभाग
5. डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार – सम्पादक- संस्कृत अनुभाग
6. डॉ. आर0के0 माहेश्वरी – सम्पादक- विज्ञान संकाय
7. श्री संजय राघव – सम्पादक- एकेडमी
8. डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार – पदेन सदस्य
9. छात्र/छात्रा प्रतिनिधि

'प्रकाशन/मुद्रण/क्रय समिति'
Publication, Printing, Purchasing Committee

1.	डॉ0 अच्युत प्रकाश गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ0 सन्तोष कुमार	सदस्य
3.	डॉ0 उमेश कुमार	सदस्य
4.	श्री वीरपाल, प्रधान सहायक	पदेन सदस्य
5.	डॉ0 नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	पदेन सदस्य

पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति
Library and Reading Room Committee

1.	डॉ. ए0पी0 गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. मिथलेश कुमारी	सह प्रभारी
3.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	सदस्य
4.	डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन	प्रभारी-बुक बैंक
5.	डॉ. हर्ष मिश्रा	सदस्य
6.	डॉ. योगेन्द्रपाल सिंह	सदस्य
7.	श्री आई0पी0 सिंह	सदस्य
8.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज	पदेन सदस्य

महिला एवं छात्रा समस्या निराकरण समिति
Women and Girl's Problem Solving Committee

1.	डॉ0 मिथलेश कुमारी	प्रभारी
2.	डॉ0 पूनम रानी शर्मा	सदस्य
3.	डॉ0 सबिस्ता अंजुम	सदस्य

महाविद्यालय परिसर सौन्दर्यीकरण समिति
College Campus Beautification Committe

1.	डॉ. ए0पी0 गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. उमेश कुमार	सदस्य
3.	डॉ. डी0पी0 सिंह	सदस्य
4.	डॉ. आई0पी0 सिंह	सदस्य
5.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज	सदस्य
6.	श्री वीरपाल	सदस्य
7.	श्री श्रीपाल	सदस्य
8.	परिचर (माली)	सदस्य

'साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति'
Literary and Cultural Committee

1.	डॉ0 पूनम रानी शर्मा	संयोजक
2.	डॉ0 मिथलेश कुमारी	सह संयोजक
3.	डॉ0 संतोष कुमार	सह संयोजक
4.	डॉ0 पवन दुबे	सदस्य
5.	डॉ0 सबिस्ता अंजुम	सदस्य
6.	डॉ0 कुशहर साहनी	सदस्य
7.	डॉ0 संजय सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 डी0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 यज्ञदत्त गौतम	सदस्य
10.	डॉ0 नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	सदस्य

राष्ट्रीय सेवा योजना
National Service Scheme (NSS)

1.	श्री अंकित कुमार कौशल	प्रभारी-छात्र/छात्रा यूनिट
2.	डॉ. श्री नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	सदस्य
3.	श्री सत्यप्रकाश, परिचर	सदस्य

एन.सी.सी. (राष्ट्रीय छात्र सेना)
National Cadet Corps (NCC)
श्री अभिषेक यादव - प्रभारी

रोवर्स-रेंजर्स
Rovers-Rengers

1.	डॉ. अजीत कुमार यादव (लेफ्टिनेंट)	प्रभारी (रोवर्स)
2.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	प्रभारी (रेंजर्स)

महाविद्यालय भवन निर्माण एवं रख-रखाव समिति
College Building Construction & Maintenance Committee

1.	डॉ. अच्युत प्रकाश गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. संतोष कुमार	सदस्य
3.	डॉ. उमेश कुमार	सदस्य
4.	श्री वीरपाल सिंह, कार्यालयाधीक्षक	पदेन सदस्य
5.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	पदेन सदस्य
6.	श्री शैलेन्द्र दीक्षित	सदस्य
7.	श्रीपाल	सदस्य

चिकित्सा समिति
Medical Committee

1.	डॉ. अनुपम पाठक	प्रभारी
2.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सदस्य
3.	डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	सदस्य
4.	डॉ. डी0पी0 सिंह	सदस्य
5.	महाविद्यालय के नामित चिकित्सक	सदस्य
6.	श्री प्रमोद कुमार	परिचर

दृश्य-श्रव्य, जेनरेटर एवं विद्युत व्यवस्था समिति
Audio Visual Generator and Electricity Committee

1.	डॉ. अजीत कुमार यादव	प्रभारी
2.	श्री सत्य प्रकाश	परिचर
3.	श्री श्रीपाल (परिचर)	सदस्य

कैन्टीन, साइकिल/टू व्हीलर्स स्टैण्ड समिति
Canteen/Cycle Stand (Two Wheelers) Committee

1.	डॉ. पवन दुबे	प्रभारी
2.	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह जादौन	उप-प्रभारी
3.	डॉ. आर0के0 माहेश्वरी	सदस्य
4.	स्टैण्ड व्यवस्थापक (ठेकेदार)	सदस्य

विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा समिति
University (Mains Exam) Committee

1.	डॉ. अच्युत प्रकाश गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार	उप-प्रभारी
3.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	सदस्य
4.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
5.	डॉ. पवन दुबे	सदस्य
6.	श्री वीरपाल, कार्यालयाधीक्षक	सदस्य
7.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	सदस्य
8.	श्री राजेश्वर सिंह, स्टैनो	सदस्य

आन्तरिक परीक्षा समिति
Mid Term/Internal Exam Committee

1.	डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत	प्रभारी
2.	डॉ. एम.एस.चन्दवरिया	उप प्रभारी
3.	डॉ0 पवन दुबे	सदस्य
4.	श्री वीरपाल	सदस्य
5.	डॉ0 नरेश चन्द्र भारद्वाज	सदस्य

जनसूचना अधिकार अधिनियम समिति
Right to Public Information Act Committee

1.	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार	जनसूचना अधिकारी
2.	श्री वीरपाल	सदस्य
3.	श्री शिवराम	सदस्य

छात्रवृत्ति कार्य समिति
Scholarship Action Committee

1.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	नोडल अधिकारी
2.	श्री वीरपाल सिंह	सदस्य
3.	श्री अभय प्रताप सिंह	सदस्य
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
5.	श्री विकास कुमार	सदस्य

छात्रा/स्टाफ कक्ष समिति
Girls Common Room/Staff Room Committee

1.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	प्रभारी
2.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सह-प्रभारी
3.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
4.	डॉ. वाई0पी0 सिंह	सदस्य
5.	श्रीमती मीना कुमारी	अस्थायी परिचर

पूर्व छात्र–परिषद समिति
Alumni Association Committee

1.	डॉ. एम.एस. चन्दवरिया	प्रभारी
2.	डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत	सह प्रभारी
3.	डॉ. ए.पी. गुप्ता	सह प्रभारी
4.	डॉ. मिथलेश कुमारी	सह प्रभारी
5.	डॉ. ब्रजेन्द्र सिंह	सदस्य
6.	डॉ. आर.के. माहेश्वरी	सदस्य
7.	डॉ. विनोद गुप्ता	सदस्य
8.	श्री आई0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज, लेखाकार	सदस्य
10.	श्री वीरपाल (कार्या. अधी.)	सदस्य

महाविद्यालय विकास समिति
College Development Committee

1.	डॉ. ए.पी. गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन	सदस्य
3.	डॉ. पवन दुबे	सदस्य
4.	डॉ. उमेश कुमार	सदस्य
5.	श्री अभिषेक यादव	सदस्य
6.	डॉ. विनोद गुप्ता	सदस्य
7.	श्री आई.पी. सिंह	सदस्य
8.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज	सदस्य

करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट प्रकोष्ठ
Career Counseling & Placement Cell

1.	डॉ0 एम.एस.चंदवारिया	प्रभारी
2.	डॉ0 कमलेश कुमार सिंह	सह प्रभारी
3.	श्री अभिषेक यादव	सदस्य
4.	डॉ. अजीत कुमार	सदस्य
5.	डॉ. हर्ष मिश्रा	सदस्य
6.	श्री अंकित कुमार कौशल	सदस्य
7.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
8.	डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
9.	श्री अखिलेश कुमार	सदस्य
10.	श्री राजेश्वर सिंह, स्टैनो	सदस्य
11.	श्री अभय प्रताप सिंह	सदस्य
12.	श्री विकास कुमार	सदस्य

आपदा प्रबंधन समिति
Disaster Management Committee

1.	डॉ. ए.पी. गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. संतोष कुमार	सह-प्रभारी
3.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
4.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
5.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
6.	डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	सदस्य
7.	श्री अखिलेश कुमार	सदस्य
8.	श्री विकास कुमार	सदस्य

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं सुझाव पेटिका समिति
Grievance Redresal Cell & Suggestion Box Committee

1.	डॉ. पवन कुमार दुबे	प्रभारी
2.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य
3.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
4.	डॉ. हर्ष मिश्रा	सदस्य
5.	डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	सदस्य
6.	डॉ. संजय सिंह	सदस्य
7.	श्री संजय राघव	सदस्य
8.	श्री राजेश्वर सिंह, स्टैनो	सदस्य

औद्योगिक दौरा समिति
Industrial Visit Committee

1.	डॉ. उमेश कुमार	प्रभारी
2.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य
3.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य
4.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज	सदस्य

मीडिया एवं जनसंपर्क समिति
Media & Public Relations Committee

1.	श्री अंकित कुमार कौशल	प्रभारी
2.	डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन	सह-प्रभारी
3.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
4.	डॉ. डी0पी0 सिंह	सदस्य
5.	श्री राजू शर्मा	सदस्य
6.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य
7.	श्री राजेश्वर सिंह	सदस्य

अभिभावक–शिक्षक समिति
Parents - Teachers Committee

1.	डॉ. अंजना वशिष्ठ	प्रभारी
2.	डॉ. बृजेन्द्र कुमार	सदस्य
3.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
4.	डॉ. उमेश कुमार	सदस्य
5.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
6.	डॉ. हर्ष मिश्रा	सदस्य
7.	डॉ. संजय सिंह	सदस्य
8.	डॉ. आर0के0 माहेश्वरी	सदस्य
9.	श्री आई0पी0 सिंह	सदस्य
10.	श्री शिवराम	सदस्य

महिला उत्पीड़न विरोधी समिति
Anti Women Harassment Committee

1.	डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत	प्रभारी
2.	डॉ. मिथलेश कुमारी	सदस्य
3.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सदस्य
4.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य

सोशल मीडिया एवं वेबसाइट विकास समिति
Social Media & Website Development Committee

1.	डॉ. अभिषेक यादव	प्रभारी
2.	डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन	सदस्य
3.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य

4.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
5.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
6.	श्री राजेश्वर सिंह	सदस्य
7.	श्री विकास कुमार	सदस्य

महिला विकास एवं आंतरिक शिकायत समिति
Women's Development and Internal Complaints Committee

1.	डॉ. मिथलेश कुमारी	प्रभारी
2.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सदस्य
3.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य

महिला विषयक अध्ययन केन्द्र समिति
Women's Study Center Committee

1.	डॉ. मिथलेश कुमारी	प्रभारी
2.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सदस्य
3.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य
3.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य

धूम्रपान–निषेध समिति
Anti Smoking Committee

1.	डॉ. कुशहर साहनी	प्रभारी
2.	श्री अभिषेक यादव	सदस्य
3.	श्री निर्देश कुमार	सदस्य
4.	डॉ. यज्ञ दत्त गौतम	सदस्य
5.	श्री वीरपाल	सदस्य

वोकेशनल कोर्स (योग विज्ञान) समिति
Vocational Course (Yoga Science) Committee

1.	डॉ. कुशहर साहनी	संयोजक (कला संवर्ग)
2.	डॉ. उमेश कुमार	संयोजक (वाणिज्य संवर्ग)
3.	श्री संतोष कुमार	सदस्य
4.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
5.	श्री पवन दुबे	सदस्य
6.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सदस्य
7.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य
8.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य
9.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
10.	श्री अंकित कुमार कौशल	सदस्य
11.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य

वोकेशनल कोर्स (बेसिक कम्प्यूटर) समिति
Vocational Course (Basic Computer) Committee

1.	डॉ. संजय कुमार	संयोजक (विज्ञान संवर्ग)
2.	डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	संयोजक

3.	डॉ. राजकुमार माहेश्वरी	सदस्य
4.	श्री अखिलेश कुमार	सदस्य
5.	डॉ. डी.पी. सिंह	सदस्य
6.	डॉ. पी.के. अग्रवाल	सदस्य

सड़क सुरक्षा क्लब
Road Safety Club

1.	श्री अंकित कुमार कौशल	संयोजक
2.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सदस्य
3.	श्री अभिषेक यादव	सदस्य
4.	डॉ. यज्ञ दत्त गौतम	सदस्य
5.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य
6.	श्री निर्देश कुमार	सदस्य

डिजी शक्ति योजना
Digi Shakti

1.	श्री अनुपम पाठक	संयोजक
2.	श्री अभय प्रताप सिंह	सदस्य
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
4.	श्री विकास कुमार	सदस्य

अबेकस
Academic Bank for College and University Students (ABACUS)

1.	श्री ब्रजेन्द्र कुमार	संयोजक
2.	श्री अभय प्रताप सिंह	सदस्य
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
4.	श्री विकास कुमार	सदस्य

समय– सारिणी समिति
Time -Table Committee

1.	डॉ. अनुपम पाठक	संयोजक
2.	डॉ. अंकित कुमार कौशल	सदस्य
3.	डॉ. उमेश कुमार	सदस्य
4.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
5.	डॉ. राजकुमार माहेश्वरी	सदस्य

समाज कल्याण एवं सामान्य जागरूकता समिति
Social Welfare and General Awareness Committee

1.	डॉ. संतोष कुमार	प्रभारी
2.	डॉ. अंकित कुमार कौशल	सदस्य
3.	डॉ. पी.के. अग्रवाल	सदस्य
4.	डॉ. आई.पी. सिंह	सदस्य
5.	डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य

6.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य
7.	श्री विकास कुमार	सदस्य

विज्ञान क्लब
Science Club

1.	डॉ. आर.के. माहेश्वरी	संयोजक
2.	डॉ. विनोद गुप्ता	सह-प्रभारी
3.	डॉ. संजय सिंह	सदस्य
4.	डॉ. डी.पी. सिंह	सदस्य
5.	डॉ. वाई.पी. सिंह	सदस्य
6.	श्री अखिलेश कुमार	सदस्य

महाविद्यालय परिसर स्वच्छता समिति
College Campus Sanitation Committee

1.	डॉ. उमेश कुमार	प्रभारी
2.	डॉ. कुशहर साहनी	सह-प्रभारी
3.	डॉ. अभिषेक यादव, प्रभारी	सदस्य
4.	श्री अंकित कुमार कौशल	सदस्य
5.	डॉ. अजीत कुमार यादव	सदस्य
6.	डॉ. विनोद गुप्ता	सदस्य
7.	श्री संजय राघव	सदस्य
8.	डॉ. नरेश चन्द्र भारद्वाज	सदस्य
9.	श्री श्रीपाल	सदस्य

महाविद्यालय 'मासिक न्यूज बुलैटिन' समिति
College 'Monthly News Bulletin' Committee

1.	डॉ. अंकित कुमार कौशल	प्रभारी
2.	डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन	सह-प्रभारी
3.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य
4.	डॉ. डी.पी. सिंह	सदस्य
5.	श्री राजू शर्मा	सदस्य
6.	सुश्री निधि भसीन	सदस्य
7.	श्री राजेश्वर सिंह	सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षानीति–2020 : 18 कार्यवाही योग्य बिन्दु प्रकोष्ठ
National Education Policy-2020 : 18 Actionable Points Cell

1.	डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत	समन्वयक/नोडल अधिकारी
2.	डॉ. एम.एस. चन्दवरिया	सदस्य
3.	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार	सदस्य
4.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
5.	श्री अभिषेक यादव	सदस्य
6.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य
7.	डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	सदस्य

प्रवेश समिति कला संकाय (स्नातक स्तर)

बी.ए. प्रथम वर्ष (सैमेस्टर–प्रथम/द्वितीय)

1.	डॉ. कमलेश कुमार सिंह	संयोजक
2.	डॉ. सन्तोष कुमार	सह संयोजक
3.	डॉ. सबिस्ता अंजुम	सदस्य
4.	डॉ. पवन दुबे	सदस्य
5.	श्री अभिषेक यादव	सदस्य
6.	श्री अंकित कुमार कौशल	सदस्य

बी.ए. द्वितीय वर्ष (सैमेस्टर–तृतीय/चतुर्थ)

1.	डॉ. मिथिलेश कुमारी	संयोजक
2.	डॉ. पूनम रानी शर्मा	सह संयोजक
3.	डॉ. अजीत यादव	सदस्य
4.	डॉ. कुशहर साहनी	सदस्य

बी.ए. तृतीय वर्ष (सैमेस्टर– पंचम/षष्ठ)

1.	डॉ. अच्युत प्रकाश गुप्ता	संयोजक
2.	डॉ. ब्रजेन्द्र कुमार	सह संयोजक
3.	डॉ. अनुपम पाठक	सदस्य
4.	डॉ. प्रवीन कुमार सिंह जादौन	सदस्य

प्रवेश समिति स्नातकोत्तरीय विभाग – कला संकाय

एम.ए. हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल व समाजशास्त्र

समस्त विभागाध्यक्ष- विषयवार संयोजक होंगे ।

प्रवेश समिति वाणिज्य संकाय (स्नातक स्तर)

1.	डॉ. उमेश कुमार	संयोजक	बी.कॉम. (सैमेन्टर- प्रथम, तृतीय व पंचम)
2.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य	

प्रवेश समिति वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)

1.	डॉ. उमेश कुमार	संयोजक	एम.कॉम. (सैमेन्टर- सप्तम व नवम्)
2.	श्री हर्ष मिश्रा	सदस्य	

प्रवेश समिति स्नातक स्तर विज्ञान संकाय (बी.एस–सी.)

बी.एस–सी. सैमे0– प्रथम(गणित एवं बायो)

1.	डॉ. विनोद गुप्ता	प्रभारी
2.	डॉ. आर.के. माहेश्वरी	सदस्य
3.	डॉ. संजय सिंह	सदस्य
4.	डॉ. पी.के. अग्रवाल	सदस्य

5. डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य
6. डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य
7. श्री अखिलेश कुमार सदस्य

बी.एस–सी. सैमे0– तृतीय (गणित एवं बायो)

1. डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी
2. डॉ. अखिलेश कुमार सदस्य

बी.एस–सी. सैमे0– पंचम(गणित एवं बायो)

1. डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी
2. श्री डॉ. पी.के. अग्रवाल सदस्य
3. डॉ. आर.के. माहेश्वरी सदस्य

प्रवेश समिति (स्नातकोत्तर स्तर) विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर (एम.एस–सी. गणित) –

1. डॉ0 विनोद गुप्ता प्रभारी
2. डॉ. पी.के. अग्रवाल सदस्य

स्नातकोत्तर (एम.एस–सी. रसायन विज्ञान)–

1. डॉ. आर.के. माहेश्वरी प्रभारी
2. डॉ योगेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य

एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज की प्रवेश समितियाँ

पाठ्यक्रम– त्रिवर्षीय डिग्रीः बी.एस-सी. (वोके.) इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
त्रिवर्षीय डिग्रीः बी.एस-सी. (वोके.) इन बायोटेक्नोलोजी
एक वर्षीय डिप्लोमाः पी.जी.डी.सी.पी. (रोजगारपरक पाठ्यक्रम)

प्रवेश समिति–

1. श्री संजय राघव प्रभारी, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम
2. श्री आई0पी0 सिंह प्रभारी, बायोटेक पाठ्यक्रम
3. श्री राजू शर्मा प्रभारी, पी.जी.डी.सी.पी.
4. डॉ. यज्ञदत्त गौतम सदस्य
5. श्री निर्देश कुमार सदस्य
6. श्री विकास कुमार कम्प्यूटर विभाग

नोट :– 1. कॉलेज विवरणिका के पृष्ठ सं0 13 से पृष्ठ सं0 26 तक गठित कमेटियों से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कमेटी के प्रभारी/संयोजक का होगा। समिति का आवश्यकतानुसार अपेक्षित विस्तार किया जा सकता है।

2. समस्त समितियों के संरक्षक प्राचार्य ही रहेंगे। किसी भी समिति में पूर्ण संशोधन/परिवर्तन का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सत्र : 2024–2025

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुमोदित महाविद्यालयों/स्व0वित्तपोषित संस्थानों के लिए प्रवेश नियम

1.प्रवेश हेतु विश्व विद्यालय के पोर्टल https://rmpssu.org पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।

2.योग्यता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल https://rmpssu.org के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे।

3.10% आरक्षण नीति EWS के लिए लागू होगी ।

4.विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई प्रवेश मान्य नहीं होगा

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेगें।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म Offline/Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस महाविद्यालय को चुना/चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा/निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://rmpssu.org के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।

5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6. विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी से स्नातक स्तर पर 200/– रू0 तथा परास्नातक स्तर 300/– रू0 शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रॉस्पेक्टस'' तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 250/– रखा जायेगा।

(ब) विवरण पुस्तिका में प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलागों के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होगें। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्र/छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी। यदि एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा उससे ऊपर आती है उसको प्रवेश अनारक्षित श्रेणी में दिया जायेगा।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।

(द)यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपंरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्रके द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रदद कराना होगा।

2. (अ) सभी संकायों में प्रथम वर्ष /सेमेस्टर में ही प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेश शुल्क के साथ 300/– रू0 उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा।

(य) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवम् साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है।

(र) एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।

PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B.Tech.& BCA उपरोक्त विषयों में स्नातक अनारक्षित एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंको की छूट मान्य होगी।

(ल) एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत 45 प्रतिशत होना चाहिए तथा सम्बन्धित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(श) सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय की घोषणा के अनुरूप होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, वह कक्षा में स्थान होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

नोट- विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmpssu.org पर उपलब्ध है। यही नियमावली महाविद्यालय में लागू होगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

1. पाठयक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय – सारिणी

1.1 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ द्वारा निर्देशित यह नियमावली सत्र 2021–22 में तीन विषयों वाले स्नातक पाठ्यक्रमों बी0ए0, बी०एससी, बी० कॉम० में प्रवेशित विद्यार्थियों पर सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम के साथ लागू होगी तथा 2021–22 में प्रवेशित स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त होने तक यह नियमावली लागू नहीं होगी।

1.2 : बी0ए0, बी०एससी0, बी0कॉम0 एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रमों तथा पीएच0डी0 कार्यक्रम में सी0बी0सी0एस0 आधारित यह नवीन व्यवस्था 2022–23 से लागू होगी।

1.3 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत की जा रही यह व्यवस्था चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा (बी०टेक0, एम0सी0ए0 आदि) विधि (बीए0 एलएल0बी0, एलएल0बी0 इत्यादि) एवं बी०एड० में उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार करने के बाद लागू की जायेगी।

2. कार्यक्रम एवं संकाय

2.1 : विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिप्लोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर, डिग्री इन्टीग्रेटिड छह वर्ष की पी0जी0डी0आर0 तथा शोध उपाधि मिलेगी यथा बी०ए०, बी०एससी, बी0 कॉम0, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी०एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

2.2 : विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश–संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 15–06–2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय।

नोटः भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (बी०ए०) की मिलेगी।

2.3: संकाय एक ही प्रवृति के विषयों का एक समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय इत्यादि । विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस संकाय से दो विषयों का चयन करेगा वह उसके मुख्य विषय (Major Subjects) कहलायेंगे तथा वह विद्यार्थी की Own Faculty या निजी संकाय होगी ।

2.4: एक विषय एक ही संकाय में सूचित होगा।

2.6: एक विषय के विभिन्न थ्योरी/ प्रेक्टिकल के पेपर को पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों के कोड अलग–अलग होंगे ।

3. प्रवेश प्रक्रिया

3.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू0आर0एन0 नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग, महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।

3.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयो के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बी०ए०, बी०एससी0 अथवा बी0 कॉम0 में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।

3.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17–06–2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार होगी जब तक कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रवेश समिति की बैठक में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता।

4. विषयों की चयन व्यवस्था –

4.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय ;कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य मेजर विषयों का चुनाव करना होगा, जिसका आवंटन महाविद्यालय में मैरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा । यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष प्रथम से छठे सेमेस्टर तक अथवा पाँच वर्ष स्नातक व परास्नातक तक अध्ययन कर सकेगा।

4.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है। इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चूने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

5. माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

5.1 बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा । इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से हो। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक–एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।

5.3 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है, अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव/आवंटन, संस्थान/ महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उराकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

5.5 एन0सी0सी0 एक लघु–वैकल्पिक विषय, माईनर इलेक्टिव

5.5.1. लघु–वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन0सी0 सी0 को भी सम्मिलित किया गया है । यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं० 1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 09–08–2021)

5.5.2. एन0सी0 सी0 लघु वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन0सी0सी0 कैडेटों के लिये उपलब्ध होगा परन्तु कालांतर में संसाधन एवं आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा।

5. कौशल विकास/रोजगारपरक (Skill Development / Vocational) पाठ्यक्रमों का संचालन एवं चुनाव किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश –

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18–08–2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी –

6.1 पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय रोजगार परक विषयों / पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालयकी पाठ्यक्रम समिति, विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

6.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेन्ट कॉउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन०एस०क्यू०एफ0 (NSQF : National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों के प्लेसमेण्ट/इन्टर्नशिप में सुविधा मिल सके।

6.3 पाठ्यक्रम के प्रकार : पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं जिनका चुनाव विद्यार्थी अपनी पसन्द एवं महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकेगा।

Individual nature : एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम।

Progressive nature : एक ही पाठयक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

6.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्यौरी एवं स्किल / ट्रैनिंग/ इन्टर्नशिप/लैब का अनुपालन 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/ कॉलेज प्रशासन करेगा।

6.5 सामान्य/थ्यौरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट –30 घंटों का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंटे की थ्योरी 1 क्रेडिट तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/ इन्टर्नशिप/लैब 2 क्रेडिट होगी । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3 × 4 = 12 केडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development) पूर्ण करना होगा।

6.6 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC, SWAYAM, MOOCs etc-) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं । विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठयक्रम के सफलातपर्वक पूर्ण करने के पश्चात अर्जित किये गये क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में जमा कराएंगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान जोड़ा जा सके।

7. समझौता ज्ञापन (MOU) एवं सीट निर्धारत

7.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MOU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/ 2020 दिनांक 22–02–2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है।

अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

8.1 स्नातक स्तर के प्रत्यक विद्यार्थी का तीन वष (छ सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम 40 प्रतिशत अंकों के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं :

प्रथम सेमेस्टर : भोजन, पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)

तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)

पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)

8.2 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रमों के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

शोध परियोजना:

9.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी0जी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।

9.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठ वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

9.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान, शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जाएगा।

9.4 स्नातक स्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

9.5 स्नातक शोध सहित एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

10. कक्षाओं हेतु समय–सारणी :

10.1 सभी महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय से ओवरलैपिंग न हो।

10.2 कॉलेज समय–सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है । ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय–सारिणी के पश्चात् करायी जा सकती है। अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

11. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/ पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता आगामी सेमेस्टर मे प्रवेश

11.1 विद्यार्थी के लिए Certicficate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है । उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले (Course Module अर्थात् Diloma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यताधारित कर सकेगा।

11.2 विद्यार्थी के लिए DiplomainFaculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (CerficiateinFaculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (ततीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले – अगले Course Module अर्थात् BachelorinFaculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

11.3 विद्यार्थी के लिऐ Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

12. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

12.1. क्रडिट के आधार पर शिक्षण कार्य : थ्यौरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

12.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्यौरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

12.3 क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण – क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816/ सत्तर–3–2021 दिनांक 09–08–2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलगसे जारी किए जाएंगे।

12.4 वर्षवार / मॉड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम : विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अंजित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यनूतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।

12.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि–क्रेडिट की सुविधा – एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है । तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष वास्तविक तृतीय वर्ष में (92–46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

12.6 योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा – यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12.7 संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं – द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आंएगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

12.8 छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री – तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

12.9 बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) – यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

12.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि–क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ – यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

12.11 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट – रोजगार परक पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

13. उपस्थिति एवं परीक्षा व्यवस्था

13.1 परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

13.2 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक रूप से पुन. परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

13.3 सभी विषयों के प्रश्नत्र 100 अकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

13.4 सभी विषयों की परीक्षा 100 में 25 अंकों के लिये सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation : CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी। 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

13.5 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य शुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा। सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

13.6 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा : रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी / सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों/महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इंटर्नशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

13.7 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग / इंटरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफ लाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।

13.8 थ्यौरी एवं स्किल पार्ट (Theory and Skill Part) के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे। विश्वविद्यालयद्वारा प्राप्त अंकतालिका / डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं।

14. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है।

- स्नातक पाठ्यक्रन के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

- तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bechelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- चतुर्थ वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनायें सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- पंचम वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- षष्ठम वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्षा। इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा शोध (P.G.D.R. & Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।

14.2 प्राथमिकता के आधार पर सातवे और आठवें वर्ष में अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में शोध – प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी।

14.3 यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।

14.4 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।

14.5 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

स्नातक डिग्री (B.A., B.Com., B.Sc.) के लिए

पाठ्यक्रम	विषय समूह	न्यूनतम अर्हता	संचालक संकाय
1. बी.ए.	**भाषा संकाय** 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत **मानविकी संकाय(सामाजिक विज्ञान)** 1. राजनीतिशास्त्र 2. समाजशास्त्र 3. अर्थशास्त्र 4. भूगोल 5. शिक्षाशास्त्र 6. शारीरिक शिक्षा	इण्टरमीडिएट	कला-संकाय में दो भाग होंगे 1. भाषा संकाय एवं 2. मानविकी संकाय
2. बी.कॉम.	1. एडवांस बिजनेस इकानोमिक्स ग्रुप 2. एकाउण्ट्स एण्ड लॉ ग्रुप 3. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप	इण्टरमीडिएट	वाणिज्य-संकाय
3. बी.एस-सी. (गणित वर्ग)	1. भौतिक विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. गणित	इण्टर मीडिएट गणित वर्ग	विज्ञान संकाय
4. बी.एस-सी. (जीव विज्ञान वर्ग)	1. जन्तु विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. वनस्पति विज्ञान	इण्टर मीडिएट	विज्ञान संकाय

पाठ्यक्रम	विषय समूह	न्यूनतम अर्हता	संचालक संकाय
5. बी.एस-सी. (वोकेशनल) इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 2. भौतिक विज्ञान 3. गणित 4. फाउण्डेशन कोर्स/राष्ट्र गौरव	इण्टरमीडिएट गणित वर्ग	विज्ञान संकाय एवं ऐकेडेमी वोकेशनल स्टडीज
6. बी.एस-सी. (वोकेशनल) इन वायोटेक्नोलोजी	1. जैव प्रौद्योगिकी 2. जन्तु विज्ञान 3. रसायन विज्ञान 4. फाउण्डेशन कोर्स/राष्ट्र गौरव	इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग	विज्ञान संकाय एवं एकेडमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज

डिप्लोमा

पाठ्यक्रम	न्यूनतम अर्हता	संचालक
1. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग (पी.जी.डी.सी.पी.)	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.	एकेडमी आफ वोकेशनल स्टडीज

स्नातकोत्तर डिग्री

पाठ्यक्रम	विषय समूह	न्यूनतम अर्हता
1. एम.ए.	समाजशास्त्र	बी.ए. (विषय- समाजशास्त्र) 50% अंकों के साथ अनिवार्य)
2. एम.ए.	अर्थशास्त्र	बी.ए. (विषय- अर्थशास्त्र 50% अंकों के साथ अनिवार्य)
3. एम.ए.	हिन्दी	बी.ए. (विषय- हिन्दी 50% अंकों के साथ)
4. एम.ए.	अंग्रेजी	बी.ए. (विषय- अंग्रेजी 50% अंकों के साथ)
5. एम.ए.	भूगोल	बी.ए. (विषय- भूगोल में 50% अंक अनिवार्य)
6. एम.एस-सी.	रसायन विज्ञान	बी.एस-सी. (रसायन विज्ञान में 50% अंक अनिवार्य)
7. एम.एस-सी.	गणित	बी.एस-सी. (विषय- गणित में 50% अंक अनिवार्य)
8. एम.कॉम.	वाणिज्य	बी.कॉम. (लेखा एवं विधि, व्यवसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावहारिक अर्थशास्त्र में 50% अंक अनिवार्य)

नोट - स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रश्नपत्रों का चयन नई शिक्षा नीति-2020 के आलोक में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष करना होगा । छात्रों को विषय/ प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार ही पढ़ने होंगे।

विषयों का चयन (Selection of Subjects)

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वालों के लिए

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला (भाषा एवं मानविकी), विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.1 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.2 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.3 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिये किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

5.4 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity) सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

5.5 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यत: अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।

5.6 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4 = 12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

*** Faculty of Science**

Physics Chemistry Maths
Zoology Botany

*** Faculty of Commerce* (Compulsory)**

Sem-1 1. Business Organisation
2. Business Statistics

Sem-2 1. Business Management
2. Financial Accounting. (4 Credit)
3. Computerized Accounting (Practical) 2 Credit

*** Faculty of Arts (Language)**

1. Hindi 2. English 3. Sanskrit

*** Faculty of Arts (Humanities & Social Science))**

1. Geography 4. Sociology
2. Political Science 5. Education
3. Economics 6. Physical Education

Any Faculty: Sem-1 Choose any one from the following

1. Business communication 2. Introduction to computer application

Sem-2 Choose any one from the following

1. Essentials of e Commerce 2. Business Economics

शोधकार्य (Research and Ph. D. Programme)

महाविद्यालय पद्धति में शोध कार्य-कलाप शिक्षा, प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि शोध और शिक्षण सदैव साथ-साथ चलने वाली प्रक्रिया है। शोध महाविद्यालय, देश की प्रगति का द्योतक होता है।

1. कला संकाय के सभी स्नातकोत्तर विभागों में उत्कृष्ट श्रेणी का शोधकार्य हो रहा है।

2. शोध के लिए छात्र/छात्रा को शोध प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय को शोध निदेशक का चयन कर भेजा जायेगा। महाविद्यालय में शोध कार्य के लिए उच्चस्तरीय व्यवस्था है। शोधार्थी को निर्धारित समय का कोर्स वर्क की करना होगा ।

"A candidate on being permitted to supplieacate for doctorate degree of the University shall work time for study and research for degree the degree and not with standing any thing to the contrary contained in any Ordinance of the University, shall not be permitted while sop enrolled to appear if any other examination whether of Aligarh or any other University.

अतएव प्रत्येक शोधछात्र/छात्रा को घोषणा-पत्र देना होगा कि वह पूर्णकालिक शोध में संलग्न है तथा किसी अन्य उपाधि हेतु प्रत्याशी नहीं हैं।

शुल्क विवरणः बी0ए0/बी0कॉम (सैमेस्टर प्रथम से षष्ठ तक)

महाविद्यालय वार्षिक शुल्क का विवरण	प्रथम/द्वितीय रू0	तृतीय/चतुर्थ रू0	पंचम/षष्ठ रू0
1. शिक्षण शुल्क	132.00	132.00	132.00
2. प्रवेश आवेदन पत्र का पंजीकरण	2.00	2.00	2.00
3. प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00
4. महंगाई शुल्क	240.00	240.00	240.00
5. पहचान पत्र तथा कालेज डायरी	30.00	30.00	30.00
6. खेलकूद शुल्क	300.00	300.00	300.00
7. विकास शुल्क	30.00	30.00	30.00
8. पंखा शुल्क	100.00	100.00	100.00
9. शीत एवं उष्ण मौसम शुल्क	300.00	300.00	300.00
10. विद्यार्थी कल्याण शुल्क	12.00	12.00	12.00
11. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	150.00	150.00	150.00
12. प्रयोगात्मक शुल्क			
अ. प्रयोगात्मक	240.00	240.00	240.00
ब. प्रयोगशाला प्रासंगिक प्रभार शुल्क	35.00	35.00	35.00
13. सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50.00	50.00	50.00
14. दीक्षान्त समारोह शुल्क	50.00	50.00	50.00
15. चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00	12.00
16. निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	12.00	12.00	12.00
17. भवन रखरखाव	30.00	30.00	30.00
18. पुस्तकालय तथा वाचनालय शुल्क			
अ. पुस्तकालय	30.00	30.00	30.00
ब. पुस्तकालय प्रासंगिक प्रभार शुल्क	20.00	20.00	20.00
19. साइकिल स्टैण्ड शुल्क			
अ. साइकिल/मोटरसाइकिल/स्कूटर	50.00	50.00	50.00
20. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क	2.00	2.00	2.00
21. गृह परीक्षा शुल्क	100.00	100.00	100.00
22. रोवर्स रेंजर्स शुल्क	50.00	50.00	50.00
23. वार्षिक दिवस शुल्क	50.00	50.00	50.00
24. महिला विषयक अध्ययन केन्द्र शुल्क	25.00	25.00	25.00
25. कॉशन मनी	50.00	50.00	50.00
26. प्रयोगात्मक शुल्क	200.00	200.00	200.00
27. वि0वि0 नामांकन शुल्क	300.00	–	–
28. वि0वि0 परीक्षा शुल्क (रू0 800 प्रति सेमेस्टर)	1600.00	1600.00	1600.00
29. वि0वि0 प्रोसेसिंग शुल्क (रू0 100 प्रति सेमेस्टर)	200.00	200.00	200.00
30. वोकेशनल (माइनर कोर्स) प्रति सेमेस्टर रू0 250/-	500.00	500.00	–
31. अंकपत्र शुल्क	100.00	100.00	100.00
32. डिप्लोमा/उपाधि शुल्क	–	–	300.00
33. महा. मासिक न्यूज बुलैटिन	50.00	50.00	50.00

शुल्क विवरणः एम0ए0 (सैमेस्टर सप्तम से दशम तक)

महाविद्यालय वार्षिक शुल्क का विवरण	प्रथम- द्वितीय रू0	तृतीय-चतुर्थ रू0
1. शिक्षण शुल्क	180.00	180.00
2. प्रवेश आवेदन पत्र का पंजीकरण	2.00	2.00
3. प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
4. महंगाई शुल्क	240.00	240.00
5. पहचान पत्र तथा कालेज डायरी	30.00	30.00
6. खेलकूद शुल्क	300.00	300.00
7. विकास शुल्क	30.00	30.00
8. पंखा शुल्क	100.00	100.00
9. शीत एवं उष्ण मौसम शुल्क	300.00	300.00
10. विद्यार्थी कल्याण शुल्क	12.00	12.00
11. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	150.00	150.00
12. प्रयोगात्मक शुल्क		
अ. प्रयोगात्मक	240.00	240.00
ब. प्रयोगशाला प्रासंगिक प्रभार शुल्क	35.00	35.00
13. सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50.00	50.00
14. दीक्षान्त समारोह शुल्क	50.00	50.00
15. चिकित्सा शुल्क	12.00	12.00
16. निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	12.00	12.00
17. भवन रखरखाव	30.00	30.00
18. पुस्तकालय तथा वाचनालय शुल्क		
अ. पुस्तकालय	37.50	37.50
ब. पुस्तकालय प्रासंगिक प्रभार शुल्क	20.00	20.00
19. साइकिल स्टैण्ड शुल्क		
अ. साइकिल/मोटरसाइकिल/स्कूटर	50.00	50.00
20. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क	2.00	2.00
21. गृह परीक्षा शुल्क	100.00	100.00
22. रोवर्स रेंजर्स शुल्क	50.00	50.00
23. वार्षिक दिवस शुल्क	50.00	50.00
24. महिला विषयक अध्ययन केन्द्र शुल्क	25.00	25.00
25. कॉशन मनी	50.00	50.00
26. प्रयोगात्मक शुल्क	200.00	200.00
27. वि0वि0 नामांकन शुल्क	300.00	
28. वि0वि0 परीक्षा शुल्क (रू01200 प्रति सैमिस्टर)	2400.00	2400.00
29. वि0वि0 प्रोसेसिंग शुल्क (रू0100 प्रति सैमिस्टर)	200.00	200.00
30. अंकपत्र शुल्क	100.00	100.00
31. डिप्लोमा/उपाधि शुल्क	–	300.00
32. शोध परियोजना शुल्क	200.00	200.00
33. एलुमिनाई शुल्क	–	50.00
34. महा. मासिक न्यूज बुलैटिन	50.00	50.00

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

1. विज्ञान संकाय स्नातक शुल्क का विवरण (सैमेस्टर प्रथम से षष्ठ तक)

महाविद्यालय वार्षिक शुल्क का विवरण	प्रथम/द्वितीय रू0	तृतीय/चतुर्थ रू0	पंचम/षष्ठ रू0
1. बी0एससी0 (वि0वि0 परीक्षा शुल्क सहित)	9000.00	9000.00	9000.00

विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर शुल्क का विवरण (सैमेस्टर सप्तम (प्रथम) से दशम (चतुर्थ) तक)

महाविद्यालय वार्षिक शुल्क का विवरण	सप्तम-अष्टम (प्रथम-द्वितीय)	नवम्-दशम् (तृतीय-चतुर्थ)
2. एम0एस0सी0 गणित	11275.00	11475.00
3. एम0एस0सी0 रसायन विज्ञान	16275.00	16475.00

वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर शुल्क का विवरण (सैमेस्टर सप्तम (प्रथम) से दशम (चतुर्थ) तक)

महाविद्यालय वार्षिक शुल्क का विवरण	सप्तम-अष्टम (प्रथम-द्वितीय)	नवम्-दशम् (तृतीय-चतुर्थ)
वाणिज्य संकाय स्नातकोत्तर शुल्क 1. एम.कॉम	11275.00	11475.00

भूतपूर्व छात्रों का शुल्क

1.	नामदर्ज कराने का शुल्क (प्रत्येक भूतपूर्व छात्र)	10.00
2.	भूगोल प्रयोगशाला शुल्क (बी.ए., एम.ए.)	240.00
3.	प्रयोगशाला प्रासंगिक प्रभार शुल्क	35.00
4.	विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	
	अ- गणित वर्ग	480.00
	ब- जीव विज्ञान वर्ग	720.00

पीएच.डी. शोध छात्रों के शुल्क

अ-	प्रवेश शुल्क	10.00
ब-	पुस्तकालय मासिक शुल्क	100.00
स-	वार्षिक शुल्क	500.00

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़
शुल्क विवरण

परीक्षा शुल्क सत्र 2024–25 एवं 2025–26 हेतु
बी0ए0, बी0एससी, बी0कॉम0

सेमेस्टर	परीक्षा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	नामांकन शुल्क	सांस्कृतिक शुल्क	क्रीड़ा शुल्क	रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	अंक-पत्र शुल्क	प्रमाण पत्र/डिप्लोमा उपाधि शुल्क	योग
प्रथम	800	100	300	20	150	10	–	–	1380
द्वितीय	800	100	–	–	–	–	100	–	1000
तृतीय	800	100	–	20	150	10	–	–	1080
चतुर्थ	800	100	–	–	–	–	100	–	1000
पंचम	800	100	–	20	150	10	–	–	1080
षष्ठ	800	100	–	–	–	–	100	300	1300

नोट: जिन पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, उसका रू0 200/– प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।

एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी0

सेमेस्टर	परीक्षा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	नामांकन शुल्क	सांस्कृतिक शुल्क	क्रीड़ा शुल्क	रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	अंक-पत्र शुल्क	प्रमाण पत्र/डिप्लोमा उपाधि शुल्क	योग
प्रथम	1200	100	300	20	150	10	–	–	1780
द्वितीय	1200	100	–	–	–	–	100	–	1400
तृतीय	1200	100	–	20	150	10	–	–	1480
चतुर्थ	1200	100	–	–	–	–	100	300	1700

नोट: 01. जिन पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, उसका रू0 200/– प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।
02. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में शोध परियोजना हेतु रू0 200/– अलग से देय होगा।

नोट: उक्त शुल्क के अतिरिक्त अंतिम वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी से रू0 50/– एलुमिनाई शुल्क भी देय होगा।

शुल्क भुगतान सम्बन्धी अनुदेश

(शुल्क भुगतान सम्बन्धी अनुदेश) **(Rules of payment of dues)**

1. शिक्षा शुल्क तथा अन्य मासिक शुल्क वर्ष में 12 महीने (जुलाई से जून तक) के लिये देय हैं।
2. विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप शुल्क तालिकाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. जो छात्र किसी दूसरे महाविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आता है, उसे शिक्षण शुल्क को छोड़कर सभी शुल्क देने होंगे। विगत संस्था में जिस महीने तक शिक्षा शुल्क जमा कराये गये, उससे अगले मास से यह शुल्क लिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय के नामांकन फार्म तथा परीक्षा फार्म तभी अग्रसारित किये जायेंगे, जबकि छात्र निर्धारित समय तक का सम्पूर्ण शुल्क अदा कर देगा।
5. छात्रों को पूरे वर्ष का शुल्क प्रवेश के समय ही देना होगा, शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश पूर्ण माना जायेगा।
6. विश्वविद्यालय परीक्षाओं के प्रवेश–पत्र केवल तभी दिये जायेंगे, जबकि छात्र ने विद्यालय का समस्त शुल्क तथा वस्तुऐं जमा कर दी हों तथा चुकती पत्र पर सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हों।
7. प्रत्येक छात्र/छात्रा को चाहिए कि दिये गये शुल्क की रसीद अधिकृत लिपिक से प्राप्त कर लें। रसीद सुरक्षित रखें।
8. जमा की गयी शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जा सकेगी और न ही स्थानान्तरित होगी।

शुल्क मुक्ति सुविधाएं (Fee concession)

प्रत्येक कक्षा के 25 प्रतिशत छात्रों को निर्धनता एवं योग्यता के आधर पर अर्द्ध/पूर्ण शुल्क मुक्तियां प्रदान की जाती है। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनूसचित जनजाति के छात्रों की संख्या को छोड़कर 10 प्रतिशत छात्रों को पूर्ण तथा 15 प्रतिशत छात्रों को अर्द्ध शिक्षा शुल्क से मुक्ति दी जाती हैं। 10 के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति छात्रों के शिक्षा शुल्क आदि के खर्च को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। शुल्क सुविधा के स्थायित्व के निमित्त छात्रों से निरन्तर संतोषप्रद कार्य अपेक्षित है तथा गृह परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। उपस्थिति में कमी, आन्तरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना, अनुशासनहीनता एवं असन्तोषजनक आचरण के कारण शुल्क सुविधा निलम्बित/समाप्त हो जायेगी। शुल्क मुक्ति के लिये कार्यालय से छपे हुये फार्म मिले हैं, जिनके जमा करने की तिथियां कॉलेज समय–समय पर प्रसारित करेगा एवं साक्षात्कार किया जायेगा।

छात्रवृत्तियां (Scholarship)

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ (प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण) छात्रों को उ.प्र. शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्थित।
2. योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को उ.प्र. सरकार द्वारा व्यवस्थित।
3. विश्वविद्यालय वरसरी (डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष), पुस्तक सहायता एवं शोध छात्रवृत्तियां।
4. अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रवृत्तियाँ, इस वर्ग के सम्पूर्ण छात्रों को प्रदत्त।
5. पिछड़ी जाति छात्रवृत्तियां एवं पुस्तक सहायक अनुदान (प्राय: द्वितीय श्रेणी) में उत्तीर्ण छात्रों को।
6. स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों की छात्रवृत्ति योजना।
7. राष्ट्रीय श्रम छात्रवृत्ति योजना कम से कम 40 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण छात्रों को निदेशक उच्च शिक्षा उ.प्र. शासन आदि द्वारा प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्र/छात्रा सम्बन्धित निर्धरित आवेदन–पत्र पर अपने प्रार्थना–पत्र कार्यालय में निश्चित तिथि के अन्दर जमा करेंगे।
8. छात्र/छात्रायें जनपद कासगंज स्थिति बैंक में खाता खोलकर खाता संख्या छात्रावृत्ति आवेदन पत्र में यथा स्थान अवश्य लिखें।

निर्धन छात्र निधि (Poor Boys Aid Fund)

निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष से निर्धन, विशेष योग्य, शिष्ट आचरण करने वाले छात्रों को एकमुश्त अनुदान के रूप में ट्यूशन फीस के अनुरूप आर्थिक सहायता अथवा शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। विशेषकर उन्हें, जिन्हें कोई अनुदान या शुल्क सुविधा प्रदान नहीं हैं। इसके लिए आवेदन–पत्र द्वितीय सत्रांश के प्रारम्भ में प्राचार्य श्री को दिये जाने चाहिए।

पुस्तकालय (Library)

पुस्तकालय नियम :

1. प्रत्येक विद्यार्थी को स्थाई प्रवेश के पश्चात पुस्तकालय से दो कार्ड प्राप्त होंगे, जो सत्र की समाप्ति पर पुस्तकालयाध्यक्ष को वापस करने होंगे जो विद्यार्थी कार्ड वापस नहीं करेगा। उसे 2/- प्रति कार्ड के हिसाब से दण्ड देना होगा।
2. कार्ड खो जाने पर विद्यार्थी को तुरन्त पुस्तकालय अध्यक्ष को उसकी लिखित सूचना देनी चाहिए। 15 दिनों तक विद्यार्थी को कार्ड खोजने का प्रयास करना चाहिए तथा इसका परिणाम पुस्तकालयाध्यक्ष को लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए उसके बाद ही दो रूपये प्रति कार्ड का भुगतान करने पर दूसरे कार्ड प्राप्त हो सकेंगे। पुस्तकालयाध्यक्ष इस बात का प्रयास करेंगे कि खोये कार्ड पर कोई पुस्तक न दी जाये फिर भी पुस्तक दी जाने की दशा में विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा। अतः कार्ड की सुरक्षा विद्यार्थी का अनिवार्य कर्तव्य ही हैं।
3. पुस्तकालय का कार्ड अहस्तानान्तरणीय है इस नियम की अवहेलना करने वाला दण्ड का भागी होगा।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा एवं उनकी किसी भी प्रकार की क्षति के लिए विद्यार्थी ही हर दशा में उत्तरदायी होगा। यदि पुस्तक की क्षति या उसका खोना सेट विशेष से सम्बन्धित है तो पूरे सेट का वर्तमान मूल्य देना होगा।
5. पुस्तकें 14 दिन के लिये दी जाती है निर्धारित अवधि के पश्चात् पुस्तक न लौटाने पर 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड देना होगा।
6. संदर्भ पुस्तकें तथा शोध पत्रिकायें केवल वाचनालय में पढ़ने के लिए परिचय पत्र लेकर दी जाती हैं, उनको वाचनालय से बाहर ले जाना प्रतिबन्धित है। बाहर अथवा घर ले जाने पर 10 रू. प्रतिदिन अर्थदण्ड देना होगा। संदर्भ पुस्तकें किसी भी स्थिति में किसी को घर के लिए निर्गत नहीं होगी।

बुक-बैंक (Book Bank)

महाविद्यालय के मेधावी छात्र/छात्राओं तथा हरिजन निर्बल आय वर्ग के छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायता हेतु पुस्तकालय में अलग से एक अनुभाग हैं, जिसे बुक बैंक कहते हैं। इस बुक बैंक का उद्देश्य निर्धन एवं कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु अपने कोर्स की पुस्तकें पूरे सत्र के लिए अथवा अल्पवधि के लिए कम शुल्क पर प्रदान करना है जिससे उन्हें पुस्तकों पर न्यूनतम खर्च करना पड़े।

बुक-बैंक के नियम :

1. छात्रों को बुक बैंक से पुस्तकें लेने पर पुस्तकों के मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा जो वापस नहीं होगा। जो धन पुस्तकों के रख-रखाब व मरम्मत पर खर्च किया जा सकेगा।
2. बुक बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकों की अधिकतम सीमा सामान्य रूप से 5 होगी इस पुस्तक सीमा में परिवर्तन छात्र की निर्धनता तथा योग्यता के आधर पर किया जा सकेगा।

वाचनालय (READING ROOM)

रिक्त समयान्तरों में छात्र/छात्राओं वाचनालय का प्रयोग करें, यहां सभी दैनिक, पाक्षिक व मासिक व अन्य पत्र-पत्रिकायें विद्यार्थियों के ज्ञान सम्बर्द्धन हेतु उपलब्ध रहती है। वाचनालय कर्मचारी को अपना परिचय-पत्र या पुस्तकालय कार्ड देकर विद्यार्थी इन पत्रिकाओं को प्राप्त कर सकते है। इनका अध्ययन वाचनालय में बैठकर ही करना है। किसी भी दशा में इन्हें बाहर नहीं ले जाना हैं।

वाचनालय कक्ष में बोलना, धूम्रपान करना, पान मसाला खाना व थूकना निषेध हैं।

विभागीय पुस्तकालय (Departmental Library)

केन्द्रीय पुस्तकालय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर एवं शोध कक्षाओं के उपयोगार्थ विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में विशेष अध्ययनार्थ पृथक् सेमीनार- ग्रन्थागार के संचालन की व्यवस्था है भूगोल विभाग में एक मानचित्र संग्रहालय भी हैं।

अनुशासन व्यवस्था

महाविद्यालय में उच्च स्तरीय अनुशासन व पारम्परिक सद्भाव का वातावरण बनाये रखने के लिए अनुशासन समिति गठित हैं, जिसके संयोजक महाविद्यालय के मुख्य नियन्ता होते हैं। अनुशासन समिति महाविद्यालय में विद्यार्थी से कुछ अपेक्षाओं एवं वर्जनाओं के पालन की प्रत्याशा करती है।

विद्यार्थियों के अनिवार्य कर्तव्य :

1. कॉलेज के शिक्षकों तथा अधिकारियों के आदेशों का यथाविधि पालन।
2. कॉलेज के शिक्षकों तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वचन एवं कर्म द्वारा आदर।
3. अपने सहपाठियों से शिष्ट व्यवहार।
4. कॉलेज के नियमों का पालन एवं कॉलेज में चल रहे कार्यक्रमों में यथाशक्ति योगदान।
5. परिसर के शैक्षिक वातावरण तथा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने में पूर्ण सहयोग।
6. मुख्य नियन्ता कार्यालय द्वारा जारी परिचय-पत्र सर्वदा अपने पास रखना।
7. कक्ष शिक्षण में सहभागिता एवं पाठ्य सहगामी कार्यक्रम के प्रति सजगता।
8. रिक्त समय में अनुशासन के साथ पुस्तकालय स्थित वाचनालय का सदुपयोग करना।
9. प्राचार्य एवं कॉलेज के शिक्षकों, अधिकारियों से निर्धरित समयावधि में ही समस्या के निवारण के लिए मिले।
10. रोजगार उन्मुख महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों एवं सूचना के बारे में सजगता बरतें।
11. महाविद्यालय में छात्राओं के लिए स्लेटी कुर्ता सफेद सलवार या सलेटी साड़ी, सफेद ब्लाउज के गणवेश में आना अनिवार्य हैं।

प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करे :-

1. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं असंयत आचरण एवं दुर्व्यवहार से बचें।
2. तेज स्वर में वार्तालाप एवं वाचनालय का दुरूपयोग न करें।
3. बिना पूर्व आज्ञा के विद्यार्थी, कार्यालय, प्राचार्य कक्ष, विभागीय कक्ष एवं शिक्षण कक्ष में न जाएं।
4. महाविद्यालय के सांस्कृतिक,साहित्यिक, क्रीड़ा कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता एवं प्रांगण में अन्य अनधिकृत व्यक्ति को साथ लाना वर्जित है।
5. महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा नए विद्यार्थियों का रेगिंग (उत्पीड़न) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः वर्जित है।
6. कॉलेज में पान मसाला खाना, पीक थूकना, दीवारों एवं द्वार पर कुछ लिखना, पूर्ण रूप से वर्जित है।
7. महाविद्यालय सम्पत्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पूर्ण वर्जित है।
8. साइकिल स्टैण्ड के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर साइकिल, स्कूटर एवं मोटर साइकिल या अन्य वाहन

रखना पूर्ण वर्जित है।

9. बिना गणवेश (सफेद सलवार, सलेटी कुर्ता) के छात्राओं का महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णत: वर्जित है।
10. महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी विद्यार्थी अनुचित साधनों के प्रयोग का दुस्साहस नहीं करेगा।
11. महाविद्यालय पुस्तकालय में छात्र/छात्राओं का पूर्ण घोषित दिवस के अतिरिक्त दिवसों में जाना नितान्त वर्जित है। कालेज के नियमों का सभी छात्र पालन करेंगे, ये नियम उनके कल्याण के लिए हैं।

नए विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण प्रोग्राम

(ORIENTATION PROGRAMME FOR NEW STUDENTS)

समस्त नवागन्तुक छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय की परम्पराओं, आदर्शों एवं नियमों से परिचय कराने के लिए तथा महाविद्यालय में उनके आचरण, व्यवहार एवं अनुशासनात्मक दिशा-निर्देश के लिए नियमित अध्ययन कार्य आरम्भ होने से पूर्व छात्र कल्याण अधिष्ठाता के निर्देशन में अन्य प्रभारी प्राध्यापक अधिकारी उन्हें पाठ्येतर क्रियाकलापों सुविधाओं आदि की सम्यक् जानकारी प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक नवागन्तुक विद्यार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होती हैं।

परिचय पत्र एवं कॉलेज डायरी (IDENTITY CARD AND COLLEGE DIARY)

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय-पत्र एवं कॉलेज डायरी प्रदान की जायेगी। परिचय-पत्र बैंकों, सार्वजनिक कार्यकलापों इत्यादि सभी स्थानों में विद्यार्थी के पद तथा अभिज्ञान के साक्षीकरण हेतु लाभदायक होता है। विद्यार्थीयों को जानकारी प्रदान करने हेतु कॉलेज के महत्वपूर्ण नियम, कैलेण्डर तथा अन्य आवश्यक तथ्य दिये हुए होते हैं।
2. महाविद्यालय में प्रवेश साक्षात्कार के दिन ही प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो परिचय पत्र पर चिपकाने हेतु लायेंगे। फीस जमा करने के बाद उपलब्ध परिचय पत्र मुख्य नियंता से हस्ताक्षर कराकर प्राप्त करना होगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र विद्यालय में तथा बाहर अपने साथ रखना अनिवार्य होगा जिसे नियन्ता अथवा विद्यालय के किसी प्राध्यापक या कर्मचारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जा सके। इसकी अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा विद्यार्थी दण्ड का भागी होगा। परिचय पत्र खो जाने पर 25/- रू0 शुल्क तथा फोटो की प्रति कार्यालय में जमा करने पर तथा प्राचार्य के आदेश पर परिचय पत्र पुन: किया जा सकता है।

विद्यार्थियों की उपस्थिति (ATTENDANCE OF STUDENTS)

(क) प्रत्येक विद्यार्थी का अपने विषय के निर्धारित व्याख्यानों, सभी आन्तरिक परीक्षाओं, राष्ट्रीय पर्वों एवं समय-समय पर आयोजित विशेष उपयोगी शिक्षणेतर कार्यक्रमों, एन.एस.एस., एन.सी.सी. व रोवर-रेजर्स आदि में नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य हैं।

(ख) विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति विद्यार्थी तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक वह परीक्षा के लिए निर्धारित शिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक विषय के लैक्चर्स ट्यूटोरियल प्रयोगिक कक्षाओं तथा एन.सी.सी. में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने बच्चों की कॉलेज कक्षाओं में उपस्थिति रहने की ओर विशेष ध्यान देंगे।

(ग) उपस्थिति की कमी प्रत्येक सत्रांश के अंत में प्रकाशित कर दी जाती है विद्यार्थी और उनके संरक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे उपस्थिति की दशा जानने हेतु समय-समय पर कार्यालय एवं सम्बन्धित प्राध्यापकों से सम्पर्क करते रहें। कक्षाओं में उपस्थिति विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, **वे स्वयं सचेत रहें कि उनकी अनुपस्थिति अध्यादेश में निर्धारित सीमा अर्थात 25 प्रतिशत से अधिक न हो तथा निर्धारित सीमा से अधिक अनुपस्थिति होने पर समय रहते कक्षाओं में प्रस्तुत होकर अनुपस्थिति को पूर्ण करें। अन्यथा वे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने से वंचित किए जा सकते हैं।**

(घ) बिलम्ब से आने की अनुमति को लैक्चर उपस्थिति में कमी को माफ करने का कार्य न्यायसंगत माना जाता है। विद्यार्थी द्वारा खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भाग लेने से हुई क्षति उपर्युक्त प्रावधन में शामिल है, इसके लिए अलग से छूट नहीं मिलेगी।

(ड़) लम्बी अवधि के लिए बाहर जाने अथवा बीमार हो जाने पर अनुपस्थित होने की सूचना कार्यालय को अवश्य दे देनी चाहिए जिससे कि महाविद्यालय में उपस्थिति मिलने वाली छूट की संस्तुति की जा सके।

(च) उचित कारणों के आधार पर उपस्थिति में छूट 5 प्रतिशत तक की कमी को प्राचार्य द्वारा और इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता हैं।

(छ) अनाधिकृत कोचिंग सैंटर्स पर पढ़ने वाले विद्यार्थी ब्लैक लिस्टिड घोषित होंगे तथा उनका प्रवेश निरस्त होगा।

छात्र कल्याण विभाग (STUDENT WELFARE DEPT.)

छात्र कल्याण हेतु महाविद्यालय में प्राध्यापकों की एक समिति है, जिसके कि डीन ऑफ दी स्टूडेन्ट वेलफेयर (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) संयोजक हैं। इस समिति का प्रत्येक सदस्य विद्यार्थियों की उन समस्याओं में, जिसमें सहयोग और मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है, सहायता प्रदान करते हैं, किन्तु विद्यार्थियों को निम्न मामलों में विशेष रूप से सलाह और सहायता देते हैं -

विषयों, प्रश्न-पत्रों के चुनने में, उत्तम पुस्तकें उपलब्ध कराने में, नगर में आवास एवं भोजन व्यवस्था, चिकित्सा एवं छात्रवृत्ति, आवागमन, शैक्षिक भ्रमण की सुविधा प्रदान कराने में, आगे अध्ययन, रोज़गार का मार्ग बताने में एवं महाविद्यालय की परम्पराओं को निभाने, अच्छे आचरण के निर्माण आदि में।

गर्ल्स कॉमन रूप (Girls Common Room)

महाविद्यालय के प्रभारी प्राध्यापक के संरक्षण में छात्राओं के लिए सुसज्जित एक पृथक कॉमन रूम की व्यवस्था है। अपने रिक्त कक्षाओं में छात्राएं अपने कॉमन रूम में शान्तपूर्ण रहें व अच्छे परिवेश का निर्माण करें। यदि छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा हो, तो वे समाधान हेतु छात्रा प्रभारी डॉ. सबिस्ता अंजुम से सम्पर्क करें।

साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर स्टैण्ड सुविधा (Two Wheelers Stand Facility)

साइकिल या स्कूटर पर कॉलेज आने वाले छात्रों को सुविधा के लिए एक विधिवत् साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। महाविद्यालय के भीतर आने वाली सभी साइकिलें, मोटर साइकिलें स्कूटर सुरक्षा हेतु स्टैण्ड पर नियुक्त चौकीदार को ही सुपुर्द की जानी चाहिए। वह टू-व्हीलर रखने वाले को एक टोकन देगा, जो इसे वाहन देते समय फिर वापस कर देना चाहिए। प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से 50/- रुपये वार्षिक साइकिल स्टैण्ड फीस देय होगी। विद्यार्थियों को उनके हित

में सलाह दी जाती है। कि वे अपने वाहनों में मजबूत ताला लगाकर मोटर साइकिल, स्कूटर इत्यादि रखें। इन नियमों की अवज्ञा करने पर विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रॉक्टर तथा शिक्षक प्रभारी द्वारा की जायेगी।

चिकित्सा सुविधा (MEDICAL FACILITY)

कॉलेज प्रांगण में एक प्रभारी शिक्षक की देख-रेख में महाविद्यालय का एक चिकित्सालय हैं, जिसमें एक योग्य अंशकालीन डॉक्टर नियुक्त है। चिकित्सालय के चिकित्सक महोदय आपात स्थिति में इलाज हेतु (खर्चा देने पर) घर पर भी बुलाये जा सकते है। व्यवहारिक रूप से पर्याप्त मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध रहती है और छात्र रोगियों को दवा दी जाती है। कॉलेज में विद्यार्थियों को उपचार एवं चिकित्सा सम्बन्धी अधिकतम् सहायता देने का प्रयत्न किया जाता है।

विश्वविद्यालय परीक्षाफल सुधार पुनः परीक्षा

(University Exams Improvement Re-Exam)

महाविद्यालय में परीक्षाएं नियमित ढंग से एवं नकलविहीन सम्पन्न/संचालित होती है। विश्वविद्यालय के आदेशानुसार यदि परीक्षार्थी परिक्षाओं का बहिष्कार कर देते है, तो उसकी पुनः परीक्षा नहीं हो सकेगी। अनुशासनहीनता के कारण दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थियों को न केवल महाविद्यालय से निष्कासित किया जायेगा, बल्कि परीक्षा में बैठने से भी वंचित किया जायेगा।

आगरा विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के प्रावधान के अनुसार परीक्षाफल में सुधर करने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में या स्नातकोत्तर को एक भाग के एक प्रश्न पत्र में बैठने की अनुमति प्रदत्त है। विद्यार्थी अपने परीक्षाफल सुधार हेतु इस प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं।

पाठ्यक्रम सहभागी कार्यक्रम

सांस्कृतिक क्रिया-कलाप (Cultural Activities)

सांस्कृति सुरभि, कालेज छात्र वर्ग के सर्वतोन्मुखी विकास में, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाकलापों के प्रभारी प्राध्यापकों के निर्देशन में सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमों, बाह्य शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं शिक्षा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में रूचिकर स्वास्थ्य एवं फलप्रद अभिव्यक्ति की व्यवस्था की देखभाल करती है। पूरे सत्र में युवकों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के प्रति अभिरूचि तथा जोशपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालय में प्रतिभा दर्शन प्रतियोगिता कर भाषण, गीत, कहानी, निबन्ध, बाद-विवाद, मोनोएक्टिंग, कविता प्रतियोगिता में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरूस्कार प्रदान किए जाते है। समय-समय पर परस्पर मेल-जोल, अनुशासन तथा साहसपूर्ण रूचि को बढ़ावा देने हेतु शिविरों का आयोजन होता है। साथ ही सांस्कृतिक शैक्षणिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

क्रीड़ा, खेल-कूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण (Games and Sports)

बौद्धिक विकास के साथ विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु महाविद्यालय में खेल-कूद सम्बन्धी गतिविधियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस समय महाविद्यालय में दो विस्तृत क्रीडा क्षेत्र एवं क्रीड़ा सुविधाएं उपलब्ध है। हॉकी, फुटबाल, बालीबॉल, बैडमिन्टन, टेबिल-टेनिस, कबड्डी आदि खेलो की तथा भारोत्तोलन, दौड़ आदि व्यायाम एवं अनन्त कक्षीय मल्टीजिम जैसे उपकरणों क्रीड़ाओं की सुविध प्रदान की जाती है। यू.जी.सी. से प्रदत्त अनुदान से विशेष खेल सामग्री एवं उपकरणों से छात्रों के लिए मल्टीजिम तथा शरीरिक शौष्ठव बढ़ाने के अनेक उपकरण इस महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। दो मल्टीजिम होना अपने आप में महत्वपूर्ण हैं।

छात्रों को खेल कूद में प्रदर्शन करने, उन्हें अच्छे खिलाड़ी बनाने की प्रेरणा देने हेतु परिसर में खेलों और क्रीड़ाओं की व्यवस्था, प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध एवं वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन, क्रीड़ा अधीक्षक की देख-रेख में होता रहता हैं।

राष्ट्रीय छात्र सेना (N.C.C.)

महाविद्यालय में पड़ने वाले छात्र/छात्राओं को सैन्य शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय छात्र सेना की 100 (कम्पनी) छात्र संख्या की एक इकाई सैनिक कमान है। स्नातक एवं परास्नातक स्तर के छात्र/छात्राऐं एन. सी.सी. के सदस्य हो सकते हैं। बटालियन ऑफिस से ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए महाविद्यालय के 75 स्थान प्रदत्त हैं।

एन.सी.सी. द्वारा कॉलेज के मुख्य उद्देश्य हैं- (क) छात्रों में नेतृत्व, चरित्र, बन्धुत्व भाईचारा व सेवा के आदर्शो का विकास करना। (ख) छात्रों में देश की रक्षा के लिए अधिक से अधिक रूचि पैदा करना। (ग) एक ऐसा अनुशासित व प्रशिक्षित दल बनाना जो राष्ट्रीय आपातकाल में देश की रक्षा के लिए और अगर सेनाओं का विस्तार करना पड़ेगा तो वह जल्द से जल्द सेनाओं में जा सकें।

रोवर्स-रेंजर्स/स्काडट-गाइड (ROVERS-RANGERS/SCOUT GUIDE)

महाविद्यालय में 'रोवर्स/रेंजर्सका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो छात्र/छात्राओं को जीवन में अनुशासन चरित्र व देशभक्ति के माध्यम से सफलता में सहयोग प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NATIONAL SERVICE SCHEME)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 से ही लागू है। इस इकाई में स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं का चयन किया जाता है। महाविद्यालय में एन. एस.एस. इकाई के रूप में 100 सीटों पर स्वयं सेवकों का चयन किया जायेगा। बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एस-सी. के सभी छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग ले सकते हैं। योजना में भाग लेने के लिए सदस्यता शुल्क रु0 15/- है एवं अवधि 2 वर्ष है। कार्यक्रम दो प्रकार के हैं - सामान्य कार्यक्रम (120 घण्टे प्रतिवर्ष), विशेष अनिवार्य शिविर 7 दिवसीय। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम जैसे पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, टीकाकरण, साक्षरता, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मतदाता जागरूकता आदि से विद्यार्थियों को सम्बद्ध करके उनमें देशहित के कार्यो में अनुराग उत्पन्न करना, शारीरिक परिश्रम में गौरव की भावना पैदा करना तथा समाज के प्रति उनमें उत्तरदायित्व जागृत करना और समाज सेवा के प्रति उत्साहित करना मुख्य ध्येय हैं।

कॉलेज पत्रिका 'मनीषा' (COLLEGE MAGAZINE MANEESHA)

छात्रों को रचनात्मक लेखन का अभ्यास कराने के लिये और उनकी लेखन प्रतिभा के उपयोगार्थ महाविद्यालय एक वार्षिक पत्रिका 'मनीषा' का प्रकाशन करता है। अब तक 'मनीषा' ने कई विशेषांक प्रकाशित कर अपना नाम गौरवान्वित किया है। इन विशेषांकों में एटा जनपद विशेषांक', 'रजत जयन्ती विशेषांक' तथा लोक संस्कृति और 'भारत-विभूति विशेषांक' एवं 'साहित्य गौरव विशेषांक' गोस्वामी तुलसीदास विशेषांक , विवेकानन्द विशेषांक, डा0 कलाम विशेषांक, स्वतन्त्रता संग्राम विशेषांक व आर्यसमाज तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विशेषांक आदि प्रमुख है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि से पोषित कार्यक्रम सेमीनार एवं कॉन्फ्रैन्सेज़ (SEMINARS AND CONFERENCES)

महाविद्यालय ने विभिन्न समाज विज्ञान विषयों के शिक्षण में इण्टर डिसीप्लीनरी अप्रोच का प्रयोग किया, इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का सार्थक एवं प्रभावी योगदान प्राप्त करने हेतु सेमीनार एवं कॉन्फ्रैन्सेज आयोजित की जाती है। इनसे विद्यार्थियों को अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है तथा शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता एवं शैक्षिक उपार्जन के स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। फैलोशिप योजना के अन्तर्गत

विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता हैं।

क्षेत्रीय अध्ययन

(FIELD PROJECTS CASE STUDIES GUIDANCE STUDY TOURS)

भूगोल के स्नातकोत्तर छात्रों के पाठ्यक्रमीय क्षेत्रीय अध्ययन प्रशिक्षण हेतु शिविरों की व्यवस्था की जाती है। जिसमें छात्रों की पूर्ण तैयारी एवं अध्ययन अनिवार्य है। प्रथम सत्रांश में अध्ययन के विषयों का निर्धारण एवं अध्ययन तैयारी, द्वितीय व क्षेत्रीय अध्ययन आंकड़ो को एकत्रित करना एवं तृतीय सत्रांश में रेखाचित्रों सहित रिपोर्ट लिखना होता है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य एवं केस स्ट्डीज की जाती है। महाविद्यालय के छात्रों के लिए गाइडेन्स स्ट्डीज टूरों की व्यवस्था की जाती है।

विजिटिंग टीचर्स एवं गैस्ट लैक्चर्स (VISITING TEACHERS AND GUEST LECTURERS)

एकेडेमिक स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से फैलोशिप योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय गैस्ट लैक्चरों की व्यवस्था करता है । गैस्ट व्याख्याताओं को पाठ्यक्रम के किसी भी विषय पर मॉडल लैक्चर देने अथवा महत्वपूर्ण सामयिक विषयों पर बोलने हेतु आमंत्रित किया जाता हैं। महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सेमिनार हाल उपलब्ध है।

दूरदर्शन एवं दृश्य श्रव्याधारित कार्यक्रम

कॉलेज में स्थापित रंगीन टेलीविजन के द्वारा अच्छी बार्तायें, समाचार, कक्षायें, अनुसंधान कक्षों की कहानी और खोजबीन की खबरें यू.जी.सी. के दैनिक लैक्चर्स नियमित रूप से देखने की व्यवसथा है। स्मार्ट क्लास एवं प्रोजेक्टर द्वारा विशेष पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध है।

महिला विषयक अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में महिला विषयक अध्ययनों को प्रोत्साहन देने तथा गतिशील बनाने की दृष्टि से एक महिला विषयक अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है। महिला विषयक अध्ययनों द्वारा महिलाओं के स्तर और विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर अधिकाधिक अभिरुचि बढ़ाने एवं विश्लेषण के लिये क्षेत्रीय सांख्यिकी आधार को सशक्त किया गया है। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्रा को 25 रु0 प्रतिवर्ष देना अनिवार्य होगा।

सर्वोच्च अंक सम्मान निमित्त स्वर्ण एवं रजत पदक

विभिन्न संकायों/कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष अनेक विशिष्ठ महानुभावों द्वारा प्रदत्त अनेक स्वर्ण पदक एवं रजत पदक प्रदान किये जाते हैं, जिनका विवरण महाविद्यालय की प्रगति आख्या तथा वार्षिक पत्रिका ''मनीषा'' में उपलब्ध है। यह पदक छात्र-छात्राओं को उच्च अंक प्राप्त करने हेतु प्रेरित करते हैं।

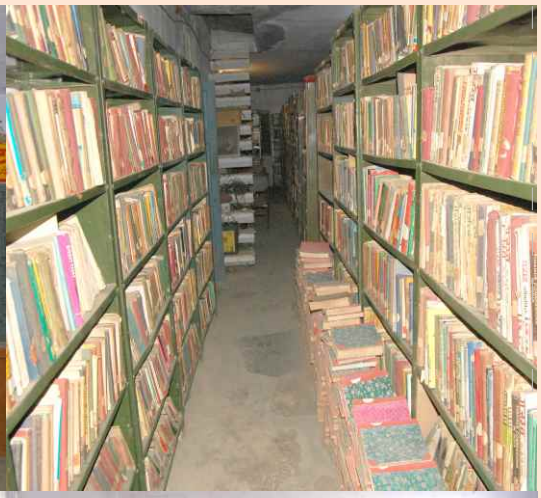
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित एवं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इग्नू का अध्ययन केन्द्र संचालित है। इग्नू में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 338 पाठ्यक्रम संचालित है। इग्नू से डॉक्ट्रेट, स्नातकोत्तर तथा स्नातक डिग्री उपाधि, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों मे अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थी, जो संस्थागत (Regular) प्रवेश नहीं ले सकते, वे इग्नू के माध्यम से विभिन्न विषयों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। प्रवेश हेतु ऑन लाइन आवेदन www.ignou.ac.in की साइट पर किया जा सकता है। प्रवेश के संबंध में छात्र-छात्रायें 'कोर्स समन्वयक' डा0 अजीत कुमार यादव अथवा डॉ0 राजेश्वर सिंह से संपर्क कर सकते हैं ।

महाविद्यालय/मासिक न्यूज बुलैटिन

महाविद्यालय की दैनन्दिन गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों, उपलब्धियों व महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि पर केन्द्रित एक मासिक न्यूज बुलैटिन का प्रकाशन भी किया जाना प्रस्तावित है इसके समुचित प्रबन्धन के लिए एक समिति कार्य का निष्पादन करेगी।


श्री हरिशंकर सक्सेना पुस्तकालय
१९९२
काउन्टर नं. 01






राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS)
अमृत वाटिका
अंकित कुमार कौशल


राष्ट्रीय सेवा योजना
N.S.S.
N.S.S.
के.ए. (पी.जी.) कालेज, कासगंज
राष्ट्रीय सेवा योजना


अमृत वाटिका
राष्ट्रीय सेवा योजना
के.ए. (पी.जी.) कॉलेज
कासगंज


पंचायत घर
ग्राम पंचायत-


जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम
वैश्विक पटल पर भारत का अभ्युदय 'G20
"वसुधैव कुटुम्बकम्" ONE EARTH, ONE FAMILY, ONE FUTURE




के. ए. (पी.जी.) कॉलेज
सम्बद्ध-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ
प्रशासनिक भवन


INTER-COLLEGIATE
AMERICAN
FOOTBALL
CHAMPIONSHIP


INTER-COLLEGIATE
WEIGHT LIFTING
BEST PHYSIQUE
CHAMPIONSHIP
Organized by
B.A. (P.G.) COLLEGE, KASGANJ


INTER-COLLE






कॉलेज, कासगंज


के.ए. (पी.जी.) कॉले






PRO PANJA
PRO PANJA
PRO PANJA















मुद्रण - सिंघल प्रेस, कासगंज # 9897539389